डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

निःशुल्क

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-07 , रायपुर से प्रकाशित

24 जुलाई 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24

जनता के विजन से बनेगा 'सुघ्घर छत्तीसगढ़'

छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट@2047 पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने युवा, महिलाओं, किसानों और प्रबुद्धजनों से सीधे किया संवाद

विकास का वही कार्य टिकाऊ होता है, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। छत्तीसगढ़ में तरक्की को दीर्घकालिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जनभागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि, रोजगार, आधारभूत संरचना समेत अलग-अलग मुद्दों पर प्रदेश की जनता खुद अपने सुझाव साय सरकार को दे रही है। इन सुझावों को छत्तीसगढ़ विजन@2047 में न सिर्फ जगह दी जाएगी बल्कि उन्हें अमलीजामा भी पहनाया जाएगा।

इसी क्रम में 16 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की मौजूदगी में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां युवाओं, महिलाओं, किसान तथा प्रबुद्धजनों से खुद सीएम श्री साय ने प्रदेश के विकास से जुड़े सुझाव जाने। कार्यक्रम में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए 200 से अधिक लोगों ने शिरकत कर सुशासन की पहल को सफल बनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2024 को आम जनता को समर्पित करने का लक्ष्य है।

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विज़न @2047

QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ को 2047 तक एक उन्नत और विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतें है। आपकी भागीदारी से 'छत्तीसगढ़ विज़न @2047 ' को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने में मदद मिलेगी।

https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home

महिलाओं से जुड़े सुझाव

कार्यक्रम में महिलाओं की कृषि एवं स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ाने से जुड़े कई अभिनव सुझाव साझा किए गए। इस अवसर पर सीएम ने ड्रोन दीदी को लेकर आए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भिलाई के तकनीकी विश्वविद्यालय में ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आह्वान किया है, जिसमें ड्रोन दीदी का भी अहम योगदान होगा।

युवाओं से जुड़े सुझाव

इस अवसर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे पर रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के मुताबिक पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का सुझाव युवाओं ने सीएम श्री साय को दिया। सीएम श्री साय ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, साफ्टवेयर तथा एआई और ऑटोमोबाईल क्षेत्रों की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार किए जाने का भरोसा दिलाया।

कृषि क्षेत्र से जुड़े सुझाव

किसानों ने सीएम से कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुभव साझा किए। सीएम ने कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। कृषकों ने जैविक खेती, शीत भण्डारण केंद्र, निर्यात केंद्र तथा वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता समेत अनेक सुझाव प्रदान किए। सीएम साय ने कहा, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं मेरी भी कृषि में बहुत रुचि है मैं जब भी गांव जाता हूं तो अपने खेत में जरूर समय बिताता हूं।

प्रबुद्धजन से जुड़े सुझाव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से अपना विजन साझा करते हुए प्रबुद्धजन ने प्रदेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा और मानव संसाधन हैं। यहां की धरती उर्वरा है, मेहनतकश किसान हैं। यहां के संसाधनों का वैल्यू एडिशन करके हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं।

साय सरकार में किसानों को मिलेगा उपज का अधिकतम मूल्य

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम निर्णय लिया है। किसान अपनी उपजों को बिना पंजीयन के ही राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे। सरकारी मंडी के माध्यम से खरीद-बिक्री हो सकेगी। इस तरह किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे। 22 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक- 2024 पेश करेगी। इसके प्रारूप का 19 जुलाई को सीएम श्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा लाइसेंसधारी, व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता केंद्र सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे किसानों को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। ई-नाम में जो अधिकतम बोली लगाएगा, वह खरीदी-बिक्री कर सकेगा।

बैठक के अन्य फैसले

प्रथम अनुपूरक बजटः
प्रथम अनुपूरक बजट पेश करने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

माल व सेवा कर अधिनियमः
केंद्रीय माल व सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। छग माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी संशोधन प्रस्तावित ।

पीएससी प्रतिवेदनः
सीजीपीएससी का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।

श्री शाह ने नक्सलवाद विरोधी मुहिम को सराहा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 17 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाक़ात की. इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की. मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृहमंत्री को राज्य में माओवादियों के सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ की जा रही प्रभावी कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने नक्सल ऑपरेशन

और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में भी गृहमंत्री को जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब आप कहीं भी, कभी भी, अपने स्मार्टफ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री के सुशासन से छत्तीसगढ़ को पांच पुरस्कार

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है

मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्रीन एनर्जी अवार्ड और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ-साथ, स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश को देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के सुशासन का ही परिणाम है कि प्रदेश को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए दिया गया है। सीएम साय ने कहा कि ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है।

22 फरवरी 2024

इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024

इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के उर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को ''इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024'' से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर ''आउटस्टैंडिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट'' श्रेणी में विजेता बना है।

23 जनवरी 2024

बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, 2024

राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। केन्द्रीय कोयला एवं राज्य खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने छत्तीसगढ़ को देशभर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए दिया है।

1 जनवरी 2024

स्वच्छ राज्य पुरस्कार

छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे साफ-सुथरे राज्य का दर्जा मिला है, जो महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बाद आता है। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में राज्य के पांच नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया।

रोजगार सूचना

छत्तीसगढ़ होम गार्ड
पदः होम गार्ड
पद संख्याः 2215
अंतिम तिथिः 10 अगस्त 2024
https://firenoc.cg.gov.in

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पदः मैनेजमेंट, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी व अन्य
पद संख्याः 195
अंतिम तिथिः 26 जुलाई 2024
https://bankofmaharashtra.in/

इफको
पदः ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस
पद संख्याः जारी नहीं
अंतिम तिथिः 31 जुलाई 2024
www.iffco.in

इंडियन बैंक
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 100
अंतिम तिथिः 31 जुलाई 2024
indianbank.in/career/

राजस्थान हाईकोर्ट
पदः डिस्ट्रिक्ट जज
पद संख्याः 95
अंतिम तिथिः 9 अगस्त 2024
hcraj.nic.in

एनआईए
पदः सब इंस्पेक्टर व अन्य
पद संख्याः 111
अंतिम तिथिः 15 अगस्त 2024
www.nia.gov.in

आरपीएससी
पदः जियोलॉजिस्ट व अन्य
पद संख्याः 56
अंतिम तिथिः 20 अगस्त 2024
rpsc.rajasthan.gov.in

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
सह संपादक : मोहन मिश्रा, संदीप सिन्हा
लेआउट डिजाइन : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण : विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

मितानिन दीदियों के साथ पंगत में बैठकर मुख्यमंत्री ने किया भोजन...

राज्य में चार रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिला छत्तीसगढ़ को आश्वासन

राज्य की चार प्रमुख रेल परियोजना धर्मजयगढ़ पत्थलगांव, लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना और रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजनाएं जल्द ही मूर्त रूप लेंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से केंद्रीय

बजट में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य में रेल परियोजनाओं को नई गति देने पर मंथन हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री ने इन परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है। परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और रेलवे मंत्रालय इन्हें प्राथमिकता देगा।

छत्तीसगढ़ की तरक्की को रफ्तार देंगी रेल परियोजनाएं

• धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा परियोजना
(240 किमी)

यह पत्थलगाँव, कुनकुरी, जशपुर नगर, गुमला आदि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र को झारखंड से जोड़ेगी। कोरबा-धर्मजयगढ़ परियोजना के कार्य प्रगति पर है। इससे औद्योगिक कोरबा क्षेत्र को लोहरदगा से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची के होकर मध्य भारत से जोड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है।

• अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना
(200 किमी)

परियोजना की मांग 1925 में की गई थी।1948 में मंजूरी मिलने के बावजूद यह अब तक अधूरी रही। यह परियोजना अंबिकापुर को बरवाडीह झारखंड से जोड़ेगी। परसा, राजपुर, चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 9000 करोड़ है।

• खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना
(277 किमी)

यह परियोजना देश के पश्चिमी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र, एसईसीएल और एमसीए कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बायपास करते हुए बलौदाबाजार के समेत समृद्ध क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अनुमानित लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए है। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

• दल्ली-राजहरा-रावघाट परियोजना
(140 किमी)

रेलवे पहले से ही दल्ली-राजहरा-रावघाट 95 किमी नई रेलवे लाइन बिछा रही है। इस लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए तो आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सकता है। यह छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक लौह अयस्क की निकासी के कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है।

श्रीराम के ननिहाल को सीधे अयोध्या से जोड़ेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग

282 किमी(रायगढ़-धरमजयगढ़ मैनपाट-अंबिकापुर-उप्र सीमा) तक के मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित

प्रभु श्रीराम के ननिहाल छग तथा अयोध्या के बीच सड़क परिवहन मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री साय ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है।

1383 | करोड़ के कार्यों के स्वीकृति

रायपुर से जुड़ी सड़कें
रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130 बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की।

रतनपुर-बलौदाबाजार व अन्य मार्ग
रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगांव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है।

पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

''पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री'' पुरस्कारों के लिए वर्ष 2025 हेतु पात्र व्यक्तियों से ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव http://awards.gov.in पर 15 सितंबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे-कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवा के लिए प्रदाय किया जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति, व्यवसाय हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।

भारतीय सेना में 450 पदों के लिए 4 अगस्त तक आवेदन

भारतीय सेना में आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो गई है। 4 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। स्टाफ सलेक्शन कमिशन की ओर से 450 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इंटरव्यू 28 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट amcsscentry.gov.in पर उपलब्ध है।

आईएएस-आईपीएस बनने के लिए फ्री कोचिंग

युवाओं का आईएएस-आईपीएस बनने के लिए इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट tribal.cg.gov.in या hmtribal.cg.nic.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक है। इन वर्ग के छात्रों को फ्री कोचिंग साय सरकार ने राजीव युवा उत्थान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग युवाओं को मुफ्त यूपीएससी कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए चयनित युवाओं को दिल्ली में रहकर मुफ्त कोचिंग पाने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 185 युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा हर वर्ग में 33 फीसदी सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

यूपीएससीः असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती, परीक्षा 4 अगस्त को

यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने सेंट्रल आई पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए रिटन एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। 4 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए अप्रैल-मई में आवेदन मांगे गए थे। इस परीक्षा से बीएसएफ के 186, सीआरपीएफ के 120, सीआईएसएफ के 100, आईटीबीपी के 58 और एसएसबी के 42 पदों को भरे जाएंगे।

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

फोन नंबर 0771–2263708, फैक्स नंबर–2262558, www.tribal.cg.gov.in ईमेल–ctd.cg@nic.in

कमांक/52–बी/सि.से.प्रो./2024–25/3523 नवा रायपुर दिनांक 12/7/2024

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र का आमंत्रण

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर राशि रूपये 1,00,000/–(अक्षरी एक लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 06.08.2024 तक आवेदन आमंत्रित है। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक–डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में अंतिम तारीख तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्टर्ड डाक से भी उल्लेखित पते पर भेजा जा सकता है।

(नरेंद्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र

प्रति,

नवीनतम फोटो चिपकाएं स्टेपल न करें

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक–4, भू–तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय :–संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. जन्म तिथि (अ) अंकों में
   (ब) शब्दों में
3. आयु– वर्ष..........माह............दिन........................
4. शैक्षणिक योग्यता ....
5. वर्तमान पता ....
6. स्थायी पता ....
   ....
7. उम्मीदवार का वर्तमान व्यवसाय एवं अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
8. पिता/अभिभावक का नाम ....
9. माता का नाम – ....
10. पिता का व्यवसाय– ....
11. परिवार की कुल वार्षिक आय (शपथ पत्र के प्रारूप में) ....
12. परीक्षा का नाम एवं वर्ष (अभिलेख संलग्न करें) ....
    (1) उत्तीर्ण परीक्षा..........................
    (अ) प्रारंभिक परीक्षा–रोल नंबर................
    (ब) मुख्य परीक्षा– रोल नंबर.....................
13. फोन नंबर/मोबाइल नंबर– ....
14. ई–मेल– ....
15. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें:–

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. जाति– (✓) टिक करें, अनुसूचित जनजाति [ ] अनुसूचित जाति [ ]

    (आवेदक छ.ग. में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु. जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
    हॉं [ ] नहीं [ ]
18. आवेदक का आधार कार्ड नंबर – ....
19. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) ....
    (iv) बैंक एवं शाखा का नाम ....
    (v) IFSC कोड ....
    (vi) बैंक खाता क्र. ....

टीपः–बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा–पत्र

मैं ....पिता/पालक–श्री/श्रीमती.. निवासी...उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। मैंने पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी संपूर्ण प्रोत्साहन राशि निरस्त कर यह राशि मुझसे भू–राजस्व के बकाया की भॉंति वसूली योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

स्थान–

दिनांक–

क्रमशः

हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

पात्रता की शर्तें एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेख

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। (निवासी प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता–पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय, आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है, का 50 रू. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
5. अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य शासन की योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।
6. पूर्व में अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में जमा किया जाना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष................के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरुस्कार हेतु)

मैं.......................पिता.......................उम्र.........................निवासी ग्राम.................वि.खं...... जिला.......................यह शपथ पूर्वक कथन करते हुए घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैने वर्ष...........के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त किया है। मेरा रोल नंबर ....है तथा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
2. यह कि मैं भारत शासन द्वारा छ०ग० राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारक हूँ।
3. यह कि मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4. (i) यह कि मेरे पिता की (यदि शास० सेवक है तो) आय...
   (ii) माता की (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....
   (iii) पिता का, यदि अन्य व्यवसाय है, तो आय ....
   (iv) परिवार की कृषि से आय ....
   (v) आवेदक की आय ....
   कुल आय (i,ii, iii, iv एवं v का योग) ....है।
5. यह कि मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय.........................रू. है तथा मैं एवं मेरे माता पिता आयकर दाता नहीं हैं।
6. यह कि मेरे द्वारा पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह कि मेरे द्वारा केन्द्र/राज्य शासन की योजनांतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण/कोचिंग नहीं लिया गया है।

....

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं..उपरोक्त कंडिका 1 से 7 की जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्यापित करता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :–

तारीख :–

....

आर.ओ.48/जी–242501140/4 सत्यापनकर्ता

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन खण्ड तीन–प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर

फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर– 0771–2445215,

ई–मेल– cg.dpi.dir@gmail.com

:: सूचना ::

लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र कमांक/शा.शि./05/डी.पी.एड. एवं बी.पी.एड. प्रवेश/2024–25/259 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.06.2024 के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर शिक्षा सत्र 2024–25 में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में डी.पी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश संबंधी चयन/साक्षात्कार दिनांक 22.07.2024 से 24.07.2024 तक निर्धारित किया गया था।

अपिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित चयन एवं साक्षात्कार तिथि जो दिनांक 22.07.2024 से 24.07.2024 तक को निर्धारित थी एतद् द्वारा स्थगित किया जाता है।

अब उक्त चयन एवं साक्षात्कार दिनांक 06.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में आयोजित किया जावेगा। शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

संचालक

आर.ओ.53/जी–242501193/3 **लोक शिक्षण छत्तीसगढ़**

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक

डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्युट एवं रिसर्च सेन्टर,

डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

वेबसाईट www.dkspgi.in Email-dkspgi@gmail.com Ph-07714061619

क्रमांक/3236/डी.के.एस./स्था० 1/2024 रायपुर, दिनांक 16/7/2024

।। विज्ञापन सूचना।।

डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर डी.के.एस. भवन, रायपुर में फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती छ०ग० संविदा भर्ती नियम 2012 के शर्तो के अधीन किया जाना है। पदों के नाम, रिक्त संख्या तथा आवश्यक अर्हता निम्नलिखित है :–

क्र.	पदनाम	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ	वेतन मैट्रिक	कुल रिक्त पद की संख्या	
1	फिजियोथेरेपिस्ट	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरपी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा फिजियोथेरपी में स्नातक उपाधि के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में 03 वर्ष का अनुभव 2. छ०ग० राज्य कौसिल में पंजीयन।	लेवल–12 (समेकित वेतन प्रतिमाह 51780/–)	4	UR-2,ST-1, OBC-1
				4	

आवश्यक शर्तें:–

1. आवेदक विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 31/07/2024 तक अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय अस्पताल अधीक्षक, दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (छ.ग.) में जमा करना होगा।
2. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित छायाप्रति जमा करेंगे।
3. उम्मीदवारों को अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ इन्टरव्यू में सम्मिलित होना होगा।
4. आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इन्टरव्यू के स्थान पर पात्र आवेदकों की लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगी, जिसकी सूचना आवेदकों को चिकित्सालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.dkspgi.in के माध्यम से दिया जावेगा।
5. उक्त पद में आरक्षण नियम का पालन शासन के निर्देशानुसार करते हुये संविदा नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
6. रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
7. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडेमिक इंचार्ज

दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान,

आर.ओ.52/जी–242501167/3 एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर, (छ०ग०)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर

जिला – बस्तर (छ०ग०)

:–07782262510 Email-ID Itibatar@rediffmail.com

क्रमांक / औप्रसं / स्था / मे.प्र.भर्ती / 2024 / 1153 दिनांक 12 / 07 / 2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0–4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार जिला बस्तर नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों / विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024–2025 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भानपुरी, जिला–बस्तर (छ.ग.) पिन कोड–494224 में आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 / 07 / 2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :–

1. पदों की जानकारी :–

क्र	व्यवसाय / विषय का नाम	औप्रसं बस्तर	अनुप्रासन बकावण्ड	औप्रसं भानपुरी	कुल पद
1	विद्युतकार	00	01	00	1
2	फिटर	00	01	00	01
3	वर्कशाप कैलकुलेशन एंड साइंस / इंजीनियरिंग ड्राइंग	00	01	01	02
4	प्लम्बर	00	01	00	01
5	मैकेनिक डीजल	00	01	00	01
6	बेम्बू वर्क (बांस शिल्प)	01	00	00	01
7	वायरमेन	01	00	00	01
8	ड्राइवर कम मेकेनिक	01	00	00	01
योग		3	5	1	09

टीपः– चूंकि ड्राइवर कम मेकेनिक व्यवसाय की प्रशिक्षण अवधि छः माह है अतः मेहमान प्रवक्ता का सेवाकाल छः माह (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) की होगी।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्र.	व्यवसाय का नाम	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी ड्राफ्टमेन मेकेनिकल में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए. टी.आई. / सी.टी.आई. / एन. व्ही.टी.आई. आर. व्ही.टी.आई. / टी.ओ. टी. उत्तीर्ण है उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।
2	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए .टी.आई. / सी.टी.आई. / एन. व्ही.टी.आई. / आर. व्ही.टी.आई. / टी.ओ.टी. उत्तीर्ण है उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।
3	फिटर / प्लम्बर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल / प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरींग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई.सी.टी.आई. / एन.व्ही. टी. आई. आर. व्ही.टी.आई. / टी.ओ.टी. उत्तीर्ण है उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।
4	मैकेनिक डीजल / ड्राइवर कम मैकेनिक	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई.सी.टी.आई. / एन.व्ही. टी.आई. / आर.व्ही.टी.आई. / टी.ओ.टी. उत्तीर्ण है उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस स्टड का होना अनिवार्य है।
5	बांस शिल्प	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बेम्बू टेक्नोलॉजी / बेम्बू स्टडीज या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई.सी.टी.आई. / एन.व्ही. टी.आई. आर. व्ही.टी.आई. / टी.ओ.टी. उत्तीर्ण है उन्हे प्राथमकता दी जावेगी।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई. / ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए.टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

नियम एवं शर्तें

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई / एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई / सीटीआई के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
4. शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पद स्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
7. पृथक–पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।

क्रमशः

8. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घंटा 140/– (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम 15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. पदों की संख्या घटाई–बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तब अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31/07/2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भानपुरी, जिला–बस्तर (छ.ग.) पिन कोड–494224 में आवेदन जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
13. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण–पत्रों जैसे– शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण–पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
15. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
16. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र जैसे–राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाथि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण–पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू०पी०एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्व–प्रमाणित फोटो

प्राचार्य /नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बस्तर
जिला–बरतर (छ०ग०)

विषय :–मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र।
महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :–

आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम ....
आवेदित संस्था का नाम ....
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।) ....
1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति ....वर्ग....................
5. जन्मतिथि (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....
....
....
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर ....
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता ....
....
....
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नही): ....
11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :–

कमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीप :– प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।

12. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :–
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................
6..............................

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ–पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :–

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते है, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय मे प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :
तारीख :

पूरा नाम :..............................
पत्र व्यवहार का पता :...............
मोबाइल नंबर:..............................

आर.ओ.50/जी–242501148/4

कार्यालय–प्राचार्य शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नवाडीह चौक सीपत, सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड 495555

Website-https://gmlscollege.ac.in, Email gmlscseepat@gmail.com, AISHE CODE C-22298

सीपत दिनांक 16/07/2024

। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य के लिए विस्तृत विज्ञापन ।

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 574/126/आउशि/राज. स्था./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06/07/2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 एवं पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/07/2024 के अनुसार शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में विषय राजनीति विज्ञान, रसायनशास्त्र, वाणिज्य, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन दिनांक 26/07/2024 को सांय 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम, 2018 के अंर्तगत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निरकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

कमांक	विषय	पदों का विवरण:–				
		प्राध्यापक	सह– प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ा अधिकारी
1	राजनीति विज्ञान	1	–	–	–	–
2	रसायन शास्त्र	–	–	1	–	–
3	वाणिज्य	–	–	1	–	–
4	कम्प्यूटर एप्लीकेंशन	–	–	1	–	–
5	क्रीडा अधिकारी	–	–	–	–	1

टीप:–संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 26/07/2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03 अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 29/07/2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 01/08/2024 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 03/08/2024 को किया जावेगा, जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– प्रतिदिन (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/–(50,000/ प्रतिमाह अधिकतम	1400/– (35000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
	विवरण	ग्रंथपाल /क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– प्रतिदिन (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचाार का पता प्राचार्य, शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड 495555 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अतंर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

प्राचार्य
शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
पिन कोड– 495555

आर.ओ.49/जी–242501144/4

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

Phone No- 0771-2263708, Fax No-2262558, www. tribal.cg.gov.in Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / 105 / रा.यु.उ.यो. / 2024–25 / 3324 नवा रायपुर 11 / 7 / 2024

वर्ष 2024–25 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (A) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 सीट+ 135 सीट = 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) के लिए, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र का आंमत्रण किया जा रहा है, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं।

(1) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि :– 15.07.2024

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :– 05.08.2024 रात्रि 12.00 बजे तक

(3) ऑनलाईन आवदेन जमा करने हेतु वेबसाइट :– www.tribal.cg.gov.in अथवा https://hmstribal.cg.nic.in

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं।

नोटः– नवीन 135 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के अधीन होगी।

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु सामान्य अनुदेश वर्ष 2024–25

(1) प्रशिक्षण की अवधि–कोचिंग की अवधि अधिकतम 10 माह की होगी। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(2) कोचिंग का स्थान–विभाग द्वारा सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्थाओं में जो नई दिल्ली स्थित है।

(3) योजनांतर्गत निर्धारित सीटें–50 सीट+135 सीट = 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) नवीन 135 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के अधीन होगा।

(4) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

(5) आयु–01.08.2024 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष।

(6) शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(7) आय– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(10) आवेदन जमा करना–अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in https://hmstribal.cg.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

अथवा

(11) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप– प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 03 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा)

(12) चयन– अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(13) आवेदन पत्रों का भरा जाना– आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही–सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेंज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।

(14) संघ लोक सेवा आयोग–द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(15) दस्तावेज, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड दस्तावेज अधिकतम 120 Kb तथा PDF में होना चाहिए, फोटो अधिकतम 50 Kb तथा JPG में होना चाहिए, हस्ताक्षर अधिकतम 20 Kb तथा JPG में होना चाहिए।

(16) स्वघोषणा प्रमाण–पत्र स्वघोषणा पत्र डॉउनलोड कर 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे।

(17) विस्तृत विवरण–योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ०ग०

स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत किया जाए)

मैं..........................पिता का नाम..आयु..वर्ग (ST/SC/OBC)...................निवासी ग्राम............पो. आ.............तहसील...............जिला. ....(छ०ग०) शपथ पूर्वक स्वघोषणा करता / करती हूँ कि योजना का लाभ लेने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख / प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं सत्य हैं, मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने अथवा किसी शासकीय / अशासकीय संस्था एवं कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेरे द्वारा कोचिंग बीच में ही छोड़े जाने की दशा में शासन द्वारा मेरे उपर किये गये सम्पूर्ण व्यय की प्रति पूर्ति मेरे द्वारा की जावेगी। अतः एतद् उपरोक्तानुसार स्वघोषणा करता / करती हूँ।

पालक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम...............................
दिनांक..........................

GOVT. GIRLS POLYTECHNIC

Byron Bazar, Raipur-492001, C.G.

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक

बैरन बाजार, रायपुर–492001, छ.ग.

SCHEME FOR INTEGRATING PERSONS WITH DISABILITY (PWD)

निःशक्तजन परियोजना

Website:– http://ggprapur.ac.in ई मेलः– principal .ggprapur@gmail.com

फोन नं. 0771–2423045

क्रमांक / शाकपॉरा / पीडब्यूडी / 2024 / 1209 रायपुर, दिनांक 03 / 07 / 2024

प्रवेश सूचना

दिव्यांगजन हेतु लघु अवधि कौशल दक्षता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित दिव्यांगजन परियोजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु लघु अवधि कौशल दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 03 / 06 माह की अवधि के लिए दिव्यांगजनों के प्रकार प्रतिशत और उनके योग्यता एवं संभावित कार्य क्षमता के आधार पर अस्थि रोग बाधित व मुख बधिर दिव्यांगजन छात्र / छात्राओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह प्रशिक्षण 03 / 06 माह की अवधि के लिए निम्नांकित व्यवसाय में प्रदान किया जावेगा। पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्र / छात्राओं पुनः आवेदन न करें।

(1) कम्प्यूटर आधार ऑफिस आटोमेशन, डीटीपी, नेटवर्किंग

(2) कटिंग एवं टेलरिंग

प्रशिक्षण निःशुल्क होगा व स्वीकृत मद से छात्रवृत्ति व टूल्स, लेखन सामग्री इत्यादि हेतु राशि रूपये 1650.00 प्रति माह नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

इच्छुक दिव्यांगजन छात्र / छात्रा इस संस्था में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में निम्न प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।

1. पाँचवीं / आठवीं / दसवीं की अंकसूची
2. संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति।
3. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
4. जाति प्रमाण–पत्र (यदि प्रशिक्षणार्थी अजजा / अजा / अपिव के हो तो)।
5. वर्तमान में लिया गया फोटोग्राफ
6. अस्थि रोग बाधित उम्मीदवार हैं तो विकलांगता को दर्शाने वाला फोटोग्राफ संलग्न करें।

नोट :– प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक छात्र / छात्राएं आवेदन–पत्र संस्था को निःशुल्क प्राप्त कर दिनांक 31.07.2024 तक अपना आवेदन प्रस्तुत करें। अधिक जानकारी के लिए मो. नं. 9425219531 / 9977123958 में संपर्क करें।

प्राचार्य एवं मुख्य समन्वयक
निःशक्तजन परियोजना
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002

Phone No-0771-2972780, Fax No. 2972782

Website-https://vyapam.cgstate.gov.in, https://vyapamaar.cgstate.gov.in/

क्रमांक / व्यापम / परीक्षा / एफ–20 / 2024 / 1293 रायपुर, दिनांक 08 / 07 / 24

व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं का विवरण

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन व्यापम वेबसाइट पर आमंत्रित किये गये थे। लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथियाँ निम्नानुसार हैः–

क्र.	परीक्षा का नाम एवं कोड	विभाग का नाम	परीक्षा दिनांक एवं दिन (संभावित)	समय
1	सहायक ग्रेड–3 (HAG23)	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर	28–07–2024 (Sunday)	Morning
2	प्रयोगशाला सहायक FDLT 24	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर	25–08–2024 (Sunday)	Morning
3	प्रयोगशाला तकनीशियन FDLT 24		25–08–2024 (Sunday)	Evening
4	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" (THS24)	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर,	15–09–2024 (Sunday)	Morning
5	प्रयोगशाला तकनीशियन HELT24	उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,	29–09–2024 (Sunday)	Morning
6	मत्स्य निरीक्षक FFL24	संचालनालय मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर	29–09–2024 (Sunday)	Evening
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी KASL23	संचालनालय कृषि, छ.ग.	20–10–2024 (Sunday)	Morning
8	प्रयोगशाला सहायक KASL23		20–10–2024 (Sunday)	Evening

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771–2439564, फैक्सः 0771–2331525, 2446556

वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2050 / 04 / परीक्षा / 2024 रायपुर, 9 जुलाई 2024

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 08 / 2023 / परीक्षा / दिनांक 01 / 06 / 2023 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 03 / 09 / 2023 को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) प्रारंभिक परीक्षा–2023 हेतु परीक्षा का आयोजन बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर जिला मुख्यालयों में किया गया था।

परीक्षा के अगले चरण में प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चिन्हांकित किए गए आवेदकों हेतु व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 का आयोजन विज्ञापन क्रमांक 08 / 2023 / परीक्षा / दिनांक 01 / 06 / 2023 में उल्लेखित Appendix 'C' (असंशोधित आपराधिक कानून) के आधार पर ही दिनांक 25 अगस्त 2024 को जिला रायपुर एवं बिलासपुर में किया जाएगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर

कमांक / 769 / प्रशि० / भर्ती / 2024 **रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2024**

छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–11 / दो–गृह / न० से० / 09 दिनांक 07.09.2011 के द्वारा "होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में एवं निम्न संशोधनों के अनुक्रम में (1) छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ 13–11 / रायपुर / दिनांक 24.07.2013 एवं (2) छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक / 3229 / रायपुर / दिनांक 22.12.2017 के तहत् छ0ग0 राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाईट https://firenoc.cg.gov.in पर दिनांक 10.07.2024 से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

01– वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार :–

- 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13–18 / दो–गृह / न.से. / 2023 दिनांक 24.01.2024
- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत् छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13–08 / दो–गृह / न.से. / 2023 दिनांक 07.03.2024

02– ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि –10.07.2024

03– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि –10.08.2024

04– त्रुटि सुधार हेतु –17.08.2024 तक

05– **परीक्षा शुल्कः–**

अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग –रू0 **300 / –**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति –रू0 **200 / –**

06–रिक्त पदों का विवरणः

(i)– 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद, जनरल ड्यूटी हेतु। (इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30 प्रतिशत हॉरिजोन्टल आरक्षण रहेगा)

(ii)–1715 महिला नगर सैनिकों के पद, (महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत् छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु)

- रिक्त पदों की संख्या वर्गवार निम्नानुसार है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है:–

500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण (जनरल ड्यूटी हेतु)

कमांक	विवरण	बोनस अंक
1	जिसने विद्यालय / महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय / विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रुप में पिछले तीन वर्षो में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो।	05 अंक
2	नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	10 अंक
3	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी	05 अंक
4	ड्रायविंग लाइसेंस हैवीवाहन	05 अंक
5	नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राज मिस्त्री, प्लम्बर और माली (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे। इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, बढ़ई का (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) अधिकृत संख्या का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने एवं चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	05 अंक
6	उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी टायपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंको की पात्रता होगी।	05 अंक

महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण।

क्र.	जिले का नाम	वर्गवार विवरण				योग
		अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित	
01	रायपुर	02	01	03	09	15
02	महासमुंद	05	11	06	18	40
03	बलौदाबाजार	06	20	08	21	55
04	गरियाबंद	03	07	03	07	20
05	धमतरी	01	04	02	08	15
06	दुर्ग	02	01	03	14	20
07	राजनादगांव	06	13	07	25	51+4=55
	बैकलाग पद	02	02	0	0	
08	बालोद	03	11	05	16	35
09	बेमेतरा	03	01	03	13	20
10	कबीरधाम	05	08	06	21	40
	योग	38	79	46	152	315
11	बिलासपुर	0	0	0	0	0
12	मुंगेली	08	03	04	15	30
13	गौ.–पे.–मरवाही	05	46	11	18	80
14	जांजगीर	08	05	04	18	35
15	कोरबा	06	26	09	22	2+63=65
	बैकलाग पद	01	01	0	0	
16	रायगढ़	07	18	07	20	52+3=55
	बैकलाग पद	01	01	01	0	
	योग	36	100	36	93	265
17	जगदलपुर	03	82	18	26	129+1=130
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
18	दन्तेवाड़ा	04	76	14	06	100
19	कांकेर	03	40	09	18	70
20	नारायणपुर	02	35	07	05	49+1=50
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
21	बीजापुर	06	74	13	05	98+22=120
	बैकलाग पद	03	12	07	0	
22	सुकमा	02	88	07	08	105+30=135
	बैकलाग पद	01	27	02	0	
23	कोण्डागांव	04	70	14	12	100
	योग	30	504	91	80	705
24	अम्बिकापुर	04	53	14	23	94+6=100
	बैकलाग पद	02	0	04	0	
25	सूरजपुर	02	22	08	18	50
26	बैकुंठपुर कोरिया	07	34	11	27	79+1=80
	बैकलाग पद	0	0	01	0	
27	जषपुर	05	61	14	19	99+1=100
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
28	बलरामपुर	04	62	14	20	100
	योग	25	232	66	107	430
	कुल योग	129	915	239	432	1715

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस०एल०पी० (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

07–सीधी भर्ती के लिये पात्रता एवं शर्तें–

(1) उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूलनिवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा।

(2) उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

(3) उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत् अच्छा होना चाहिए।

08– वेतनमान –

(1) यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे।

(2) नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

(3) इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे।

क्रमशः

09—आयु सीमाः—

01—किसी भी वर्ग के उम्मीद्वार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात् 01 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

02— आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

10— शैक्षणिक अर्हताएं :—

01— सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिये 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

02— अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

03— नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य, अ०पि०वर्ग, एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यार्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये 5वीं पास होना आवश्यक है।

11— शारीरिक अर्हता :—

(क) ऊंचाई 168 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 158 से.मी. या अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए)

(ख) सीना— बिना फुलाए 81 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए 76 से.मी.) तथा फुलाने पर 86 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु 81 से.मी.) अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार का छूट नहीं दी जावेगी। (महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगी)

(ग) अभ्यर्थी में नाक नी, पलेट फुट ना हो एवं वह शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिए। यह अर्हता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपील करने की स्थिति में अपील समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लिया जा सकेगा।

अभ्यर्थी को आंखो से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए। आंखो की दृष्टि बिना चश्में के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

12— शारीरिक दक्षता परीक्षा

क्र0	पुरुषों के लिए	कुल अंक	महिलाओं के लिए	कुल अंक
01	100 मीटर दौड़	25	800 मीटर दौड़	50
02	800 मीटर दौड़	25	लम्बी कूद	25
03	लम्बी कूद	25	ऊंची कूद	25
04	ऊंची कूद	25		
	योग अंक	100	योग अंक	100

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंको में से 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा।

13— लिखित परीक्षाः— शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी तथा इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत एवं अनु० जाति, अनु०जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	विवरण	बोनस अंक
1	जिसने विद्यालय/महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रुप में पिछले तीन वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो।	05 अंक
2	नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	10 अंक
3	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी	05 अंक
4	ड्रायविंग लाइसेंस हैवीवाहन	05 अंक
5	नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राज मिस्त्री, प्लम्बर और माली (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे। इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, बढ़ई का (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) अधिकृत संख्या का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने एवं चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	05 अंक
6	उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी टायपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंको की पात्रता होगी।	05 अंक

टीप—उपरोक्त सरल में उल्लेखित दो या दो से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अधिकतम 20 बोनस अंको के ही पात्र होंगे।

(क) अनस्किल्ड ट्रेड के लिए जिला स्तरीय उप समिति परीक्षण कर प्रमाण—पत्र जारी करेगी।

(ख) बोनस अंको के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित है किसी भी उम्मीवार को 20 बोनस अंको से अधिक प्रदान नही किए जाएंगे, भले ही 20 बोनस अंको से अधिक की योग्यता रखता हो।

(ग) बोनस अंक वरीयता सूची (मेरिट सूची) तैयार करते समय ही दिए जायेंगे। इससे पूर्व किसी स्तर पर बोनस अंक नहीं दिए जायेंगे।

14— चयन सूचीः— शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक (केवल पात्रतानुसार) कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदो के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जावेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदो के लिए पृथक सूचियां बनाई जावेगी।

जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयं सेवी सैनिकों के पद हेतु 30 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुसार महिलाओं की पृथक सूचियां बनाई जावेगी, किन्तु चूंकि महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण हैं तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जायेंगे। अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष उम्मीद्वार से भरा जावेगा।

विज्ञप्त पदों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर संभागीय मुख्यालयों में की जावेगी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।

जिलावार रिक्त पदों तथा भर्ती संबंधी नियमों के विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट https://firenoc.cg.gov.in पर अवलोकन किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य संबंधित जानकारी हेतु समय—समय पर छत्तीसगढ़ नगर सेना की उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

टीपः महिला अभ्यर्थियों हेतु जनरल ड्यूटी के पदों एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत् छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की भर्ती पृथक—पृथक होगी। महिला अभ्यर्थी इन दो श्रेणी के पदों में किसी एक पद के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा हेतु चयनित महिला नगर सैनिकों को जिले के दूरस्थ छात्रावासों में सुरक्षा हेतु पदस्थ किया जावेगा।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :—

(1) शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र (2) संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र

(3) जाति प्रमाण पत्र (4) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र

(5) 02 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (6) आत्मसमर्पित नक्सली/नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र।

बोनस अंक हेतु (1) संभाग स्तरीय/विश्व विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र (2) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र (3) ड्रायविंग लाइसेंस भारी वाहन (4) हिन्दी टायपिंग प्रमाण पत्र।

अतिरिक्त महानिदेशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन
सेवाएं तथा एसडीआरएफ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छत्तीसगढ़) 492010
वेबसाइट–www.gacrapurcg.in दूरभाष/फैक्स नं.:–0771–2263396
ईमेल– ayurvediccollege@gmail-co

क्रमांक/पैरामेडिकल/2024/3107 रायपुर, दिनांक 18/01/24

आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम की सूचना

काउंसिलिंग स्थानः–शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
काउंसिलिंग दिनांक–01.08.2024 (गुरुवार)

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में संचालित आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की तैयार प्रावीण्यता सूची महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित की गयी है। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थी इस सूचना को ही बुलावा पत्र मानते हुये काउंसिलिंग में अवसर लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

समय सारिणी

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	10+2 बारहवी परीक्षा में विषयों (भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान) के कुल प्राप्तांक
01.08.2024 (गुरुवार)	अनारक्षित	प्रातः 08:30 बजे से 10:30 बजे तक	292 से 214 तक
	अनुसूचित जनजाति	प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक	287 से 214 तक
	अनुसूचित जाति	प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे तक	291 से 269 तक
	अन्य पिछड़ा वर्ग	दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक	292 से 258 तक

सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों/अंकसूचियों एवं उनकी दो सेट की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित काउंसिलिंग हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर उपस्थित होंवे। उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी प्रवेश का अवसर खो देंगे। काउंसिलिंग में उपस्थित होना प्रवेश की गारंटी नहीं है।

प्रमाण–पत्रों का क्रम :–

1. दो पासपोट साईज फोटो। 2. 10वी. की अंकसूची।
3. 12वीं की अंकसूची। 4. गैप सर्टिफिकेट (अंतराल अवधि)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये।) जिन अभ्यर्भियों ने आवेदन पत्र के साथ जाति सत्यापन संलग्न किया है उन्हें भी काउंसिलिंग के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023–24, 2022–23, 2021–22) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभ्यर्थी के पिता का आय प्रमाण–पत्र।
8. सेवारत होने की स्थिति में नियोजक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी)।
9. यदि उपनाम परिवर्तित है तो उपनाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की दो सेट की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ में मूल प्रमाण पत्रों/अंकसूचियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने पर उस संस्था के प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा है तो उस संस्था के प्रमुख द्वारा तत्संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अन्य कोई प्रमाण–पत्र जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

शुल्क :–

अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को रु. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र), अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए रू. 6,000/– (छः हजार रूपये मात्र) काउंसिलिंग के समय नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से समय नहीं दिया जायेगा तथा उसका चयन निरस्त किया जायेगा।

प्राचार्य
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.54/जी–242501211/3

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल

जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

क्रमांक/मण्डी/स्था./सीधी भर्ती/2024–25/207 केशकाल दिनांक 09.07.2024

कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 01 पद (अनारक्षित) वेतन लेवल मैट्रिक्स (06)–25300–80500 पर सीधी भर्ती के लिये दिनांक 29/07/2024 तक पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन नीचे दर्शित शर्तो के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता –

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं की परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उर्तीर्ण
2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री का 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है।
3. शासकीय/अर्धशासकीय विभाग में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव एवं मंडी समिति में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।

अन्य अर्हताएँ :–

4. आयु सीमा छ.ग. शासन के नियमानुसार लागू होंगी किंतु मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जावेगी।
5. दिनांक 11.05.2000 से व्यक्ति विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा तो उसे राज्य में मंडी समिति सेवा में नौकरी के लिए अयोग्य माना जायेगा।
6. दिनांक 26.01.2001 के बाद जिन महिला अथवा पुरुषों को दो से अधिक बच्चे होंगे उन महिला एवं पुरुषों को किसी प्रकार की मंडी समिति की सेवा प्राप्त करने की पात्रता नही होगी।
7. ऐसा कोई पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा, या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी।
8. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा :–
(1) यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी या सेवा के कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया हो
(2) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
9. आवेदक को कोंडागांव जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
10. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मण्डी समिति का होगा।
11. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
12. चयन समिति द्वारा लिखित कम्प्यूटर ज्ञान (कौशल) परीक्षा आयोजित की जावेगी। तथा मौखिक साक्षात्कार भी आयोजित किया जावेगा।
13. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
14. आवेदन सादे A4 साईज के कागज पर टाईप/हस्तलिखित आवेदन मान्य होगा किन्तु आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। आवेदन में जाति वर्ग लिखना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा होना आवश्यक है।
15. कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य होगा।
16. शेष उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला कोण्डागांव से कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
17. मण्डी समितियो में दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा के रूप में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(रामगोपाल सुनहरे)
सचिव वरिष्ठ
कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

(हेमलाल पदमाकर)
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ शंकर नगर, रायपुर

टेलीफोन–0771-2443596 फैक्स–0771-2443496
वेबसाइटः www.scert.cg.gov.in ईमेलः scertcg@gmail.com

पत्र क्र./RIMC/प्रवेश परीक्षा/2024/2847 रायपुर, दिनांक 18/07/2024

सूचना

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (RIMC) देहरादून प्रवेश परीक्षा दिनांक 01 दिसम्बर 2024

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (RIMC) देहरादून में जनवरी 2025 सत्र के लिए आठवी कक्षा में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को होना है। इस परीक्षा हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर, छ.ग. में व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए।

उक्त परीक्षा के नियमावली के सम्बंध में विस्तृत जानकारी हेतु RIMC की वेबसाइट www.rimc.gov.in एवं परिषद् की वेबसाइट www.scertcg.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

(राजेन्द्र कुमार कटारा)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.,छ.ग., रायपुर

आर.ओ.55/जी–242501206/4

विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के समीप सिविल लाईन, रायपुर छ.ग.

ईमेल:- specialofficeryp@gmail.com दूरभाष क्र. 0771–4044081

क्रमांक/विरोका/स्थाप/2024–25/305 रायपुर, दिनांक 19/07/2024

दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण–पत्र शिविर का आयोजन दिनांक 25.07.2024 को

दिव्यांगजनों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के दिव्यांगजनों को इस प्रमाण–पत्र के लिए जबलपुर जाना होता है। राज्य के शिक्षित दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए भारत सरकार श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड (NCSC for DA) जबलपुर एवं विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों हेतु नियोजित) रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों को उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (Suitability Certificate) प्रदान करने के लिए दिनांक 25.07.2024 दिन गुरूवार को एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से सह शिक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर में किया जा रहा है।

PET/PAT/प्री एमसीए./प्री. बीएससी नर्सिंग/प्री एमएससी नर्सिंग/प्री बीएड आदि प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र आवश्यक होता है। रायपुर में आयोजित इस शिविर में दिव्यांगता का परीक्षण कर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपयुक्तता की जाँच कर उपयुक्तता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

शिविर में भाग लेने हेतु दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, शिक्षा एवं आयु से संबंधित प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, जाति प्रमाण–पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी से हैं), पासपोर्ट आकार के दो (2) फोटो तथा यदि व्यापम द्वारा आयोजित किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ हो तो उसका प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। शिविर में आने–जाने हेतु किसी प्रकार का मार्गव्यय देय नहीं होगा। इस शिविर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में दूरभाष नंबर 0771–4044081 पर संपर्क कर सकते हैं।

डॉ० (श्रीमती) शशीकला अतुलकर
उपसंचालक, रोजगार
विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07751 220658 ईमेल –emrsgaurelapendermarwahi@gmail.com

क्रमांक/EMRS/लेट–प्रवेश/2024–25/1728 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 18/07/2024

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के रिक्त सीटों में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ०ग० अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2024–25 में विभिन्न कक्षाओं में रिक्त सीट के विरूद्ध प्रवेश लेटरल एण्ट्री प्रवेश परीक्षा नियमावली एवं प्रवेश नीति 2023–24 के माध्यम से प्रवेश दिया जाना है। विद्यालयवार तथा कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विद्यालय का नाम	शिक्षा का माध्यम	कक्षा जिसमें सीट रिक्त है।	रिक्त सीट		योग
				बालक	कन्या	
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया, वि.खं. मरवाही	अंग्रेजी	7वीं	00	01	01
2			8वीं	01	01	02
3		हिन्दी	9वीं	00	01	01
4			10वीं	02	04	06
5			11वीं (गणित/जीव विज्ञान)	05	05	10
6			12वीं (गणित/जीव विज्ञान)	06	01	07
7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाटा, वि. खं. पेण्ड्रा	अंग्रेजी	7वीं	01	02	03
8			8वीं	00	01	01
9		हिन्दी	9वीं	00	01	01
10			10वीं	02	03	05
11			11वीं	05	01	06
12	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नेवसा, वि.खं. गौरेला	अंग्रेजी	9वीं	01	00	01
13			10वीं	04	01	05

टीपः– कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 9वीं व 11वीं में CBSE Board में नामांकन अनिवार्य है। तथा पूर्व में किये गये आवेदन पत्र वालों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है।

उक्त कक्षावार रिक्त सीट के विरूद्ध प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2024 से 26.07.2024 तक कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया, लाटा व नेवसा से प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा का स्थान की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

प्रवेश परीक्षा के सम्बंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ०ग० एवं प्राचार्य, एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया/लाटा/नेवसा से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

(डॉ. ललित शुक्ला)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

आर.ओ.54/जी–242501195/4

भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अवसर

विज्ञापन क्रमांक बीएसपी- 05(भर्ती)/24-25, दिनांक 08.07.2024

भिलाई इस्पात संयंत्र, जो सेल का ध्वजवाहक संयंत्र है, जिसे देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र होने के लिए 11 बार प्रधानमन्त्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। यह रेलपॉत, भारी स्टील प्लेट, रिबार्स, वायर रॉड्स तथा स्ट्रक्चरल्स का उत्पादन करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, युवा प्रोफेशनल्स/डॉक्टरों से इसके संयंत्र/अस्पताल एवं विभिन्न खदानों के लिए निम्नांकित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित करता है:-

I) पदों का विवरण:

अ. कार्यपालक पदों का विवरण

1. सलाहकार (ई3 ग्रेड)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ई2 ग्रेड)

डिसिप्लिन	पदों की संख्या	अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	पी.डब्ल्यू.डी. **
जनरल मेडिसिन	04	03	0	0	01	0	02 (01 BL) (OA, OL)
रेडियो डायग्नोसिस	02	02	0	0	0	0	0
रेस्पिरेटरी मेडिसिन	02	02	0	0	0	0	0
ओबी एवं जी	02	02	0	0	0	0	0
डर्मेटोलॉजी	01	01	0	0	0	0	0
ऑर्थोपेडिक्स	02	02	0	0	0	0	0
ई.एन.टी.	01	01	0	0	0	0	0
एनस्थीसिया	02	02	0	0	0	0	0
ऑप्थलमलॉजी	01	01	0	0	0	0	0
पेथोलॉजी	01	01	0	0	0	0	0
साइकेट्री	01	01	0	0	0	0	0

2. चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.) (ई1 ग्रेड)

पदों की संख्या	अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	पी.डब्ल्यू.डी.**
01	01	0	0	0	0	0

3. सहायक प्रबन्धक (सर्वे) (ई1 ग्रेड)

पदों की संख्या	अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	पी.डब्ल्यू.डी.**
03	03	0	0	0	0	0

ब. गैर कार्यपालक पदों का विवरण

1. एस3/एस1 ग्रेड के पद

पद	पदों की संख्या	अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	पी.डब्ल्यू.डी. **	भू.सै.**
माइन्स फोरमेन (एस-3)	03	0	01	02 (01 BL)	0	0	0	0
जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक) (एस-3)- खदानों के लिये	14	06	01	05	01	01	02 (02 BL) (02-HH)	02
टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन)	05	02	01	01	0	01	01 (LV)	01

II) पात्रता:

पद का नाम	अधिकतम आयु *	वाँछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव *
सलाहकार (ई 3 ग्रेड)	41 वर्ष.	अ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया /नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन/नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त हो, से जनरल मेडिसिन/रेडियो डायग्नोसिस/रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ ओ एवं जी/डर्मेटोलॉजी/ आर्थोपेडिक्स/ई.एन.टी./एनस्थीसिया/साइकेट्री/ ऑप्थलमलॉजी/ पेथोलॉजी में पी.जी. डिग्री (एम.डी./एम.एस.)/डी.एन.बी. उत्तीर्ण। ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि को, वाँछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात, कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ई 2 ग्रेड)	38 वर्ष	अ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया /नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन/नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त हो, से जनरल मेडिसिन/रेडियो डायग्नोसिस/रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ ओ एवं जी/डर्मेटोलॉजी/ आर्थोपेडिक्स/ई.एन.टी./एनस्थीसिया/साइकेट्री/ ऑप्थलमलॉजी/पेथोलॉजी में पी.जी. डिग्री (एम.डी./एम.एस.)/डी.एन.बी. उत्तीर्ण। ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि को, वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात, कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।
चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.) (ई 1 ग्रेड)	34 वर्ष	अ) एम.बी.बी.एस. के साथ इंडस्ट्रियल/आक्युपेशनल हेल्थ में डिग्री या डिप्लोमा /ए.एफ.आई.एच. (असोसियेट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ) पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया / नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त हो उत्तीर्ण। ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि को, इन्टर्नशिप के पश्चात, शासन से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/अस्पताल/संस्थान में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।
सहायक प्रबन्धक (सर्वे) (ई 1 ग्रेड)	30 वर्ष	अ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से माइनिंग/सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक उत्तीर्ण एवं एम.एम.आर.-1961 के अन्तर्गत डी.जी.एम.एस. द्वारा जारी माइन्स सर्वेयर का वैध सर्टिफिकेट धारी हों। ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि को वाँछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात, फस्ट क्लास माइन्स मेनेजर के अधीन, ओपन कास्ट माइन्स में माइन्स सर्वेयर के रुप में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव। स) यह उद्यम/संस्थान, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग/सरकारी संस्थान/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/पी.एस.यू या सरकारी उपक्रम का ज्वॉइन्ट वेंन्चर कम्पनी हो।
माइन्स फोरमेन (एस 3 ग्रेड)	28 वर्ष	अ) मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं एम.एम.आर. 1961 (मेटालिफेरस खदान के लिये) के अन्तर्गत डी.जी.एम.एस. द्वारा जारी वैध माइन्स फोरमेन योग्यता प्रमाण पत्र धारी। ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि को, माइन्स फोरमेन योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, सम्बधित क्षेत्र में न्यूनतम् एक वर्ष कार्य का अनुभव।
जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक)(एस 3 ग्रेड)	28 वर्ष	अ) मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण। ब) खदानों में कार्य करने की योग्यता का वैध विद्युत पर्यवेक्षी प्रमाणपत्र परीक्षा सी.ई.ए. रुल 2010 के अनुसार उत्तीर्ण होना चाहिये। (टिप : एक्जमटेड सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जायेगा।) स) खदानों में कार्य करने की योग्यता का वैध विद्युत पर्यवेक्षी प्रमाणपत्र (विद्युत पर्यवेक्षक का सक्षमता प्रमाणपत्र माइनिंग इन्स्टालेशन को कवर करने वाला होना चाहिए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के उप-विनियम (1) के तहत जारी किया जाना चाहिए)। द) यह सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश/आल इण्डिया में कार्य करने के लिये वैध हो।
टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन) (एस 1 ग्रेड)	28 वर्ष	अ) मैट्रिक के साथ किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में पूर्णकालिक आई.टी.आई.उत्तीर्ण। ब) सेकण्ड क्लास बॉयलर अटेंडेन्ट सक्षमता का प्रमाणपत्र।

* आयु, आवश्यक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के पश्चात् अनुभव आवेदन प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि को अर्थात 03.08.2024 को मान्य होगा।

** भूतपूर्व सैनिकों व शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल आधार पर होगा।

- शासकीय प्रावधानों तथा प्रेसीडेन्सियल दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
- वॉंछित शैक्षणिक योग्यता केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान यथा यू.जी.सी. /ए.आई.सी.टी.ई./एम.सी.आई./एन.एम.सी./एन.बी.ई. से प्राप्त होनी चाहिये।
- ई-1 ग्रेड के पदों (मेडिकल के पदों को छोड़कर) के लिये अनारक्षित/ओ.बी.सी.(एन.सी.एल.)/ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को वॉछित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा कम से कम 65% अंकों के साथ एवं एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.बी.डी./विभागीय उम्मीद्वारों को कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- एस-3 ग्रेड के पदों के लिये अनारक्षित/ओ.बी.सी.(एन.सी.एल.)/ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को वाँछित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ एवं एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.बी.डी./विभागीय उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

केवल ऐसे उम्मीदवार, जो सम्बधित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं वॉंछित कार्य अनुभव, जैसा कि पूर्व में (बिन्दु(II)- पात्रता) में विनिर्दिष्ट किया गया है, रखते हैं, वे ही आवेदन करें।

III) नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पद और पहचान निम्नानुसार है (भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-3)।

पद	नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए अनुकूल चिन्हित
सहायक प्रबन्धक (सर्वे)	(अ) बी., एल.व्ही. (ब) डी, एच.एच. (स) ओ.ए., बी.ए., ओ.एल., एल.सी., डी.डब्ल्यू., ए.ए.व्ही. (द) एस.एल.डी., एम.आई. (इ) एम.डी. जिसमें (अ) से (द) ऊपर शामिल हैं।
सलाहकार/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	(अ) ओ.ए., ओ.एल., बी.एल., ओ.ए.एल., एल.सी., डी.डब्ल्यू, ए.ए.व्ही. (ब) एस.एल.डी. (स) एम.डी. जिसमें (अ) से (ब) ऊपर शामिल हैं।
चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.)	(अ) ओ.ए., ओ.एल., बी.एल., एल.सी., डी.डब्ल्यू., ए.ए.व्ही. (ब) एस.एल.डी. (स) एम.डी. जिसमें (अ) से (ब) ऊपर शामिल हैं।
जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक)	(अ) डी, एच.एच. (ब) ओ.ए., बी.ए., ओ.एल., सी.पी., एल.सी., डी.डब्ल्यू., ए.ए.व्ही.. (स) ए.एस.डी. (एम), एस.एल.डी., एम.आई. (द) एम.डी. जिसमें (अ) से (स) ऊपर शामिल हैं।
टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन)	(अ) एल.व्ही. (ब) डी, एच.एच. (स) ओ.एल., सी.पी., एल.सी., डी.डब्ल्यू., ए.ए.व्ही.. (द) एस.एल.डी. (इ) एम.डी. जिसमें (अ) से (द) ऊपर शामिल हैं।

प्रयुक्त श्रेणी का संक्षिप्तिकरण : बी.-अन्धा, एल.व्ही.-कम दृष्टि, डी-बहरा, एच.एच.-सुनने में कठिनाई, ओ.ए. -एक हाथ, ओ.एल.-एक पैर, बी.ए.-दोनों हाथ, बी.एल.-दोनों पैर, ओ.ए.एल.-एक हाथ और एक पैर, बी.एल. ओ.ए.-दोनों पैर और एक हाथ, बी.एल.ए.-दोनों पैर और दोनों हाथ, सी.पी.-सेरेब्रल पाल्सी, एल.सी.-ठीक कुष्ठ रोग, डी.डब्ल्यू.-बौनापन, ए.ए.व्ही.-एसिड अटैक पीड़ित, एम.डी.-मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ए.एस.डी.-ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसआर्डर (एम-माइल्ड, एम.ओ.डी.-मध्यम), आई.डी.-बौद्धिक दिव्यांगता, एस.एल.डी.-विशिष्ट सीखने में असक्षमता, एम.आई.-मानसिक बीमारी, एम.डी.-कई दिव्यांगताएं ।

IV. शिथिलता :

ऊपरी आयु सीमा में छूट दिनांक 03.08.2024 (आवेदन करने की अन्तिम तिथि)

अनु. जा./ अनु.ज. जा.	अ.पि.वर्ग (नान क्रीमीलेयर)	नि:शक्त	01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निवासरत	भूतपूर्व सैनिक	विभागीय उम्मीदवारों
05 साल	03 साल	10 साल	अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता दी जायेगी।	सशस्त्र बल में कम से कम 6 महीने लगातार सेवा दी है, उन्हें शासकीय दिशा निर्देशानुसार आरक्षित/अनारक्षित पदों के लिये सैन्य सेवा की सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।	विभागीय उम्मीदवार शब्द का अर्थ उन उम्मीदवारों से है, जो वर्तमान में सेल के कर्मचारियों (प्रशिक्षुओं सहित) के रूप में काम कर रहे हैं, न कि सेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्य। विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम् आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। ई1/एस3 स्तर के पदों के लिए उम्मीदवारों को सम्बधित वर्गो की आयु सीमा में समस्त छूट (यदि प्राप्त हो) के बावजूद अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

V) आरक्षण :

प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को 'पद के विवरण' में जैसा दर्शाया गया है उसी अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा। शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण समग्र रूप से सभी ट्रेड/संकाय में हॉरिजोंन्टल आधार पर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा। शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति उनके लिए चिन्हित अनुकूल पद जैसा कि, पद के विवरण में दर्शाया गया है, में न्यूनतम 40 प्रतिशत नि:शक्तता के साथ आवेदन कर सकते है।

'क्रीमीलेयर' के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीद्वारों को अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली शिथिलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे उम्मीद्वारों को 'अनारक्षित' श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो नॉन क्रीमीलेयर में आते है, उन्हें **निर्धारित प्रारूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के नीचे के स्तर का न हो, के द्वारा शासकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रम में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप (प्रारूप हमारे वेबसाइट www.sail.co.in 'Careers' लिंक में उपलब्ध है) में जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।**

नोट:

1. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने हेतु उम्मीदवारों को सेल के वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र **वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25)** में जारी किया गया प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र किसी अन्य प्रारूप में स्वीकार्य नही होगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक (वर्तमान में तहसीलदार के नीचे के स्तर का न हो) सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय एंव सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही उम्मीदवारों का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा।
2. कम से कम 40% नि:शक्तता वाले नि:शक्त उम्मीदवार ही बिन्दु ।।। में नि:शक्तजनों के लिये विनिर्दिष्ट पदवार नि:शक्तता के अनुरुप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (प्रारूप हमारे वेबसाइट www.sail.co.in 'Careers' लिंक में उपलब्ध है)। उम्मीद्वारों को शिथिलता के पश्चात पद के लिये निर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करना होगा।

क्रमशः

पिछले पृष्ठ का शेष

यदि उम्मीद्वार निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो उसकी उम्मीद्वारी स्वीकार्य नहीं होगी। उम्मीद्वारों को साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के समय नि:शक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि शारीरिक रूप से नि:शक्त उम्मीद्वार की श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्त/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)/ई.डब्ल्यू.एस./भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र हिन्दी/अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है तो, ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को प्रमाण पत्र की हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवादित स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एन.सी.एल.)/ई.डब्ल्यू.एस./नि:शक्त श्रेणी/भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और न ही किसी अन्य श्रेणी का लाभ बाद में दिया जायेगा।

अस्वीकार्य: ई.डब्ल्यू.एस. रिक्तियाँ अस्थाई हैं, और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

VI) चिकित्सा मानदण्ड :

अ) शारीरिक मानदण्ड :

पद	ई 1 से ई 3 ग्रेड के लिए		एस 1 एवं एस 3 ग्रेड के लिए	
मानदण्ड (न्यूनतम)	आवश्यक मानदण्ड		आवश्यक मानदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ऊंचाई	अभियंता के लिए 155 से.मी., गैर अभियंता के लिए 150 से.मी.	143 से.मी.	155से.मी.	143 से.मी.
वजन	45 किलो	35 किलो	45 किलो	35 किलो
छाती का माप	72 से.मी. एवं 75 से.मी. फुलाने पर	75 से.मी. एवं 79 से.मी. फुलाने पर	75 से.मी. एवं 79 से.मी. फुलाने पर	70 से.मी. एवं 73 से.मी. फुलाने पर

ब) दृष्टि मानदण्ड :

पद	ई 1 से ई 3 ग्रेड के लिए		एस 1 एवं एस 3 ग्रेड के लिए
मानदण्ड (न्यूनतम)	मानदण्ड		मानदण्ड
	पुरुष और महिला के लिए समान		पुरुष और महिला के लिए
	अभियंता	गैर अभियंता	
दूर दृष्टि	6/9 चश्मे या बिना चश्मे के या 6/6 और 6/12 दूसरे नेत्र में चश्मे या बिना चश्मे के।	एक नेत्र वाले उम्मीदवार के लिये 6/6 स्वस्थ नेत्र को योग्य हेतु विचार किया जावेगा।	6/9 दोनों नेत्र चश्मे एवं बिना चश्मे के। 35 वर्ष की आयु के पश्चात एक स्तर की कमी (दोनों नेत्र में एक स्तर की कमी(दोनों नेत्र चश्मे एवं बिना चश्मे के))
निकट दृष्टि	दोनों नेत्र जे1 चश्में एवं बिना चश्मे के साथ। चश्मे का पावर ± 4D से अधिक नहीं होना चाहिए।	दोनो नेत्र जे1 चश्में एवं बिना चश्में के साथ।चश्में का पावर ± 8D से अधिक नहीं होना चाहिए।	दोनो नेत्र जे1 अथवा एन 6 दोनों नेत्रों में। चश्मे का पावर ± 2.50D से अधिक नहीं होना चाहिए।
कलर विजन	आवश्यक।	आवश्यक नहीं।	सामान्य (ईशिहारा अथवा लेंर्टन टेस्ट में)
बॉयनोक्यूलर विजन	आवश्यक। शल्य चिकित्सा एवं सुधार के साथ तिरछापन स्वीकार्य होगा।	-	आवश्यक। शल्य चिकित्सा एवं सुधार के साथ तिरछापन स्वीकार्य होगा।

फील्ड ऑफ विजन सामान्य एवं नाइट ब्लाइण्डनेस नहीं होना चाहिए। श्रवण शक्ति सामान्य (स्पीच फ्रिक्वेन्सी में 30 डी.बी. तक छूट) होना चाहिए। जहाँ कही भी आवश्यक हो एन्थोपोमैट्रिक मेजरमेंट के लिए बॉडी मॉस इण्डेक्स के अनुसार हाईट व वेट चार्ट का पालन किया जायेगा।

उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की डिफेक्ट से मुक्त व पूर्णत: स्वस्थ होना चाहिए। उपरोक्त दर्शित चिकित्सा/शारीरिक मानदण्ड न्यूनतम आवश्यकतानुसार है। यद्यपि, उम्मीद्वारों की नियुक्ति उनके सेल मेडिकल व हेल्थ पॉलिसी के मानदण्ड के अनुरूप कम्पनी की चिकित्सकीय परीक्षा में पास होने के उपरान्त ही की जायेगी।

VII) चयन प्रक्रिया :

अ)

पद	चयन प्रक्रिया
सलाहकार/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	पात्र उम्मीद्वारों का चयन साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक अनारक्षित/ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए 50% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/नि:शक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% होंगे। अन्तिम चयन हेतु, साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि अन्तिम मेरिट सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों को एक ही कट-ऑफ अंक पर रखा जाता है, तो पात्रता योग्यता (अर्थात, पीजी/डीएनबी) में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को प्रस्ताव पत्र जारी किया जाएगा। बुलावा पत्र में साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, जो सेल वेबसाइट के कैरियर पेज पर अपलोड की जाएगी और उम्मीदवारों को उनके ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस हेतु उम्मीदवारों को सूचना किसी अन्य माध्यम से नही भेजा जाएगा।

ब)

सहायक प्रबन्धक (सर्वे)/ चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.)	पात्र उम्मीदवारों का चयन **लिखित परीक्षा/ऑनलाइन (सी.बी.टी.)** के माध्यम से होगा, जिसके बाद अर्हित उम्मीदवार 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। यदि किसी पद के लिए उम्मीदवारों का अनुपात 1:5 से कम हुआ तो चयन प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यदि सी.बी.टी. के कट-ऑफ अंक, एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो इन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अन्तिम चयन के लिए, मेरिट लिस्ट, में ऑनलाइन (सी.बी.टी.)/लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर 80:20 के वेटेज के साथ मेरिट सूची तैयार की जाएगी। **लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.):** प्रोविज़नली पात्र उम्मीदवारों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित किसी भी परीक्षा केन्द्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) देने हेतु उपस्थित होना आवश्यक होगा। अनारक्षित पदों/ ई.डब्ल्यू.एस. हेतु ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) में न्यूनतम अर्हता अंक का निर्धारण 50 पर्सेन्टाइल स्कोर के आधार पर किया जायेगा।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अ.पि.वर्ग (एन.सी.एल.)/ नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40 पर्सेन्टाइल स्कोर होगा।

स)

माइन्स फोरमेन/ जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक)/ टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन)	पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट (सी.बी.टी.) के लिए उपस्थित होना होगा, जिसकी जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से, सेल की वेबसाइट के केरियर पेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट (सी.बी.टी.) में उनके निष्पादन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट हेतु सेल की वेबसाइट के केरियर पेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अन्तिम चयन हेतु ऑनलाइन टेस्ट (सी.बी.टी.) के अंकों का वेटेज 100% होगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। **ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) :** प्रोविजनली पात्र उम्मीदवारों को प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किसी भी परीक्षा केन्द्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) देने हेतु उपस्थित होना आवश्यक होगा। अनारक्षित/ई.डब्ल्यू.एस. उम्मीदवारों हेतु ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) में न्यूनतम अर्हता अंक 50 पर्सेन्टाइल स्कोर रहेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अ.पि.वर्ग (एन.सी.एल.)/नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40 पर्सेन्टाइल स्कोर होगा। **स्किल टेस्ट :** उन उम्मीदवारों में से जो ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) में अर्हता प्राप्त करते हैं, प्रत्येक श्रेणी में मेरिट के अनुसार 1:3 के अनुपात में स्किल टेस्ट हेतु उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
	सभी टेस्ट शार्ट नोटीस पर आयोजित की जा सकती है, जिसका बुलावा पत्र सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा एवं इसकी सूचना उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सूचना उम्मीदवार को किसी अन्य माध्यम से प्रदान नहीं की जाएगी। अन्तिम चयन हेतु सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) में अर्जित अंको के आधार पर, अवरोही क्रम में उन उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि, स्किल टेस्ट में योग्य पाए गए हैं।

VIII) प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा:

ग्रेड ई 1 से ई 3 पद के लिये, चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थाईकरण से पूर्व एक वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। तत्पश्चात स्थायीकरण प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन पर आधारित होगा।

माइन्स फोरमेन, जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक), टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन) पद में चयनित उम्मीद्वारों को 1 वर्ष/6 महिने (कम्पनी के नियमानुसार जो भी लागू हो) परिवीक्षा में रखा जायेगा। तत्पश्चात स्थाईकरण प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन पर आधारित होगा।

IX) परिलब्धियां एवं अन्य सुविधाएं, ग्रेड, वेतनमान :

पदों	ग्रेड	वेतनमान
सलाहकार	ई 3	रू 80000-3%-220000/-
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	ई 2	रू 70000-3%-200000/-
चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.)/ सहायक प्रबन्धक (सर्वे)	ई 1	प्रथम वर्ष रू 50000-3%-160000/- द्वितीय वर्ष रू 60000-3%-180000/-
माइन्स फोरमेन/ जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (विद्युत पर्यवेक्षक)	एस 3	रू 26600-3%-38920/-
टेक्निकल एसोसिएट (बॉयलर ऑपरेशन)	एस 1	रू 25070-3%-35070/-
वर्तमान में कम्पनी के नियमों के अनुसार परिलब्धियों में मूल वेतन, लागू औद्योगिक महंगाई भत्ता, केफेटेरिया एप्रोच के तहत पर्कियुसिट्स के अलावा अन्य हितलाभ जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी (पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972, संशोधन अधिनियम 2018 के तहत निर्धारित लाभ), नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउन्स (सलाहकार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी (ओ.एच.एस.) के लिये), स्वयं और पात्र आश्रितों के लिए मुक्त चिकित्सा सुविधा आदि कम्पनी के नियमानुसार प्रदान की जाएगी।		
प्रारम्भिक मूल वेतन पर सीधी भर्ती होने के कारण, कम्पनी पिछले रोज़गार वेतन/अवकाश वेतन/पेंशन योगदान आदि यदि कोई हो, के लिए कोई देयता वहन नही करेगी।		
विभागीय उम्मीदवारों का चयन होने पर वेतन, सेल पे फिक्सेशन नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।		

X) आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क :

ग्रेड	आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क (सामान्य, अ.पि. वर्ग (एन.सी.एल.), ई.डब्ल्यू.एस. उम्मीदवारों के लिये)	प्रोसेसिंग शुल्क (अनु.जाति/अनु.जनजाति/नि:शक्त श्रेणी/भूतपूर्व सैनिक/विभागीय उम्मीदवारों के लिये)
ई 1 या ऊपर	रू 700/-	रू 200/-
एस 3	रू 500/-	रू 150/-
एस 1	रू 300/-	रू 100/

अ) अनु.जाति/अनु.जनजाति/नि:शक्त श्रेणी/भूतपूर्व सैनिक/विभागीय उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क प्रदान नहीं करने होंगे। अपितु अनु.जाति/अनु.जनजाति/नि:शक्त श्रेणी/भूतपूर्व सैनिक/विभागीय उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क प्रदान करने होंगे।

ब) उम्मीदवारों को देय आवेदन/प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त, बैंक शुल्क यदि कोई हो तो, स्वयं वहन करना होगा।

स) ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवारों को **नेट बैकिंग/क्रेडिट कार्ड/ए.टी.एम. सह डेबिट कार्ड** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क (जैसा भी मामला हो) का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

XI) आवेदन कैसे करें :

इच्छुक व पात्र उम्मीद्वारों को सेल की वेबसाइट www.sail.co.in (at 'Careers' link) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **किसी अन्य साधन/माध्यम से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।** आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि, वे आवेदन करने वाले पद हेतु वाँछित सभी पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं। पंजीकृत उम्मीदवार की उम्मीदवारी अस्थाई रहेगी। उम्मीदवार आवेदन करने के लिये उपयूक्त लिक पर क्लिक कर वाँछित जानकारियाँ प्रविष्ठ कर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

1. उम्मीदवारों को वेबसाइट में उनका आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व, निम्नलिखित बातों को अनिवार्य रुप से ध्यान पर रखना है :

अ. उम्मीद्वारों को यह सलाह दी जाती है कि, वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।

ब. आवेदन करने से पूर्व उम्मीद्वार को सुनिश्चित करना होगा कि, वे जिस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, उस पद हेतु वाँछित सभी पात्रता मानदण्डों को पूर्ण करते हैं। पंजीकृत उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी अस्थाई होगी तथा उनकी पात्रता की जाँच साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के समय की जायेगी। यदि ऐसा पाया जाता है कि, उम्मीद्वार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य है या फिर विज्ञापन में वाँछित पात्रतानुसार नहीं है अथवा दस्तावेजों की वैधता के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने में उम्मीद्वार असमर्थ होता है तो, पंजीकृत उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा नियुक्त होने के पश्चात् भी रद्द की जा सकती है। भिलाई इस्पात संयंत्र बिना किसी सूचना के आवेदन निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं इस संबंध में उम्मीद्वार से किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

स. वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर जो पूरी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक वैध रहना चाहिए।

द. उम्मीदवारों के पास jpg या jpeg फ़ाइल में नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर होनी चाहिए। यह तस्वीर केवल 50 केबी तक की आकार की फ़ाइल (तस्वीर सफेद पृष्ठभूमि में ली गई हो और उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गहरे रंग के या काले चश्मे आदि नहल़ पहने हों) और साथ ही साथ स्वयं के हस्ताक्षर की तस्वीर (रनिंग सिग्नेचर एवं व्यक्तिगत वर्णमाला नही) भी आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे जो कि jpg या jpeg फ़ाइल में, केवल 20kb तक के आकार में हो। संपूर्ण चयन प्रक्रिया में जब भी आवश्यकता हो, उम्मीद्वार को इसी तस्वीर को चिपकाना/प्रदान करना होगा। (मोबाइल/सेल्फी मोड के माध्यम से ली गई तस्वीरों को स्वीकार नही किया जाएगा और आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा)।

इ. उम्मीदवार को आवेदन करते समय अपना नाम वैसा ही प्रविष्ट करना होगा, जैसा कि मैट्रिक या समकक्ष योग्यता के प्रमाणपत्र में दर्शाया गया हो।

2. ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया में तीन चरणों का पालन करना शामिल है:

अ) आवेदन पत्र भरना

ब) दस्तावेजों को अपलोड करना

स) भुगतान करना

द) फायनल रजिस्ट्रेशन एवं प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंटिंग।

XII) महत्वपूर्ण :

उम्मीद्वारों को सभी प्रकार की सूचनायें/जानकारी http//sailcareers.com वेबसाइट पर अपलोड कर या केवल ई-मेल के माध्यम से ही दी जायेंगी। ऑन लाइन परीक्षा सी.बी.टी. की सूचना/प्रवेश-पत्र/सी.बी.टी. का परिणाम या साक्षात्कार/स्किल टेस्ट का बुलावा पत्र और अन्तिम चयन के बारे में सूचना इत्यादि सेल की वेबसाइट पर अपलोड की जायेंगी अथवा ई-मेल से भेजी जायेंगी। सी.बी.टी. का प्रवेश-पत्र या साक्षात्कार/स्किल टेस्ट का बुलावा पत्र या नियुक्ति पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने, डाउनलोड और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीद्वार की होगी। यदि उम्मीद्वार सही समय पर अपना ई-मेल/वेबसाइट नहीं चेक करता है या उम्मीद्वार द्वारा अमान्य/गलत ई-मेल आई.डी. दिये जाने के कारण या नेटवर्क सम्बधित कारणों से डाटा लॉस होने से विलम्ब से या उक्त जानकारी नहीं मिलने जैसी स्थितियों में सेल, भिलाई इस्पात संयंत्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

क्रमशः

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी

जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.)

वेबसाइट–www.blvcollegepalli.in, फोन नंबर–07727–277212
ई–मेल आईडी–govt.blvcollegepallari@gmail.com कॉलेज कोड–1205

क्रमांक/88/अतिथि व्या./2024–25 पलारी, दिनांक 16.07.2024

अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 574/126/आउशि/राज. स्था./2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.07.2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत महाविद्यालय में रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है. इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 16.07.2024 से 27.07.2024 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।

सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया 'अतिथि व्याख्याता नीति–2024' के परिपालन में किया जावेगा।

अतिथि व्याख्याता नीति – 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल से किया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
01	अंग्रेजी	01
02	अर्थशास्त्र	01
03	भौतिक शास्त्र	01
04	वनस्पतिशास्त्र	01
05	प्राणीशास्त्र	01
06	गणित	01
	कुल रिक्त पद	06

टीप– अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय से संपर्क करें।

(डॉ. ए.के. उपाध्याय)
प्रधानाचार्य
शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पल्लारी
जिला – बलौदा बाजार – भाटापारा (छ.ग.)

पिछले पृष्ठ का शेष

उम्मीद्वारों को अभी किसी भी प्रकार के दस्तावेज भिलाई इस्पात संयंत्र को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद्वारों को ऑनलाइन परीक्षा सी.बी.टी. में तभी बैठने दिया जायेगा, जब वे इस हेतु सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध वैध फोटोयुक्त प्रवेश-पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट (सी.बी.टी.) हेतु समस्त प्रथम दृष्टया अर्ह उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी एवं एप्लीकेशन फीस/प्रोसेसिंग फीस (जैसा लागू हो) सबमिट किये जाने के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे।

उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि, वे आवेदित पद के लिए विज्ञापन मे मांगी गई पात्रता संबंधी सभी शर्तो को पूर्ण करते हों। **सभी मूल प्रमाणपत्र (योग्यता और अनुभव के लिये पात्रता मानदण्ड) और अन्य पात्रता शर्तो/मानदण्डों के समर्थन में दस्तावेजों का सत्यापन केवल उन उम्मीद्वारों के लिये किया जायेगा,** जिन्हें लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है और **अगले चरण यानि साक्षात्कार या स्किल टेस्ट के लिये विचार/बुलाया जाता है** । इन उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि, ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदत्त सभी दस्तावेज और विवरणों का दस्तावेजी प्रमाण सत्यापन के समय प्रस्तुत करें एवं वे ऑनलाइन आवेदन के विवरणों से मेल भी खाना चाहिए। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत विवरण एवं दस्तावेज, निर्दिष्ट पात्रता शर्तो/मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी और उम्मीदवार को साक्षात्कार/स्किल टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी स्तर के चयन प्रक्रिया/परीक्षाओं मे उम्मीदवारों को प्रवेश पूर्ण रुप से प्रोव्हिजनल आधार पर दिया जायेगा, जब तक कि वे वॉछित सभी पत्रता शर्तों/मानदण्डों को पूर्ण नहीं करते हों। किसी भी स्तर पर, यदि जॉच में यह पाया जाता है कि, उम्मीदवार आवेदित पद हेतु वॉछित सभी पत्रता शर्तो/मानदण्डों को पूर्ण नहीं करते है तो, उनकी उम्मीदवारी अविलम्ब निरस्त कर दी जायेगी।

XIII) सामान्य शर्तें:

1. उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना व राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वॉछित शैक्षणिक योग्यता रखना आवश्यक है।
2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे केवल एक ही पद के लिए आवेदन करें, क्योंकि ऑनलाइन (सी.बी.टी.)/ साक्षात्कार/स्किल टेस्ट आदि एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जा सकती हैं।
3. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन के अनुसार आवश्यक सभी अर्हताओं की पूर्ति नहीं करते हों तो, वे आवेदन न करें। इसलिए उम्मीद्वारों को आवेदन करने के पूर्व उनकी पात्रता को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
4. पत्राचार माध्यम/ऑफ कैम्पस माध्यम के द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीद्वार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक पंजीयन किया जायेगा एवं चयन प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एवं पदभार ग्रहण करने के दौरान भी इसका अनुवर्ती सत्यापन किया जावेगा।
6. उम्मीद्वारों को आवेदन में अपना नाम, मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट में दर्ज नाम को ही दर्शाना होगा। यदि कालान्तर में नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो तो, साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के समय आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
7. डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई. में प्राप्तांको के प्रतिशत की गणना बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जैसा किया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वैसा ही मान्य किया जायेगा। इसके अलावा जहाँ पर सी.जी.पी.ए. या अक्षरों में ग्रेडिंग प्राप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति में, उस हेतु संम्बधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रयुक्त पद्धति के तहत प्रतिशत की गणना कर ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना होगा। प्रयुक्त पद्धति के अभाव में सी.जी.पी.ए. की गणना 10 अंक मानक के आधार पर किया जायेगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के समय संम्बधित विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रयुक्त पद्धति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
8. जिन पदों के लिये कार्य अनुभव प्रासंगिक है, उन पदों के लिये ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को, वॉछित अनुभव प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करना होगा।
9. भूतपूर्व सैनिक उम्मीद्वार को स्किल टेस्ट के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उनके शैक्षणिक योग्यता के असैनिक समतुल्यता **(सिविल इक्वीवेलेन्स)** का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. निर्धारित पात्रताएँ/अनुभव मानदण्ड न्यूनतम हैं, एवं मात्र इन पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करने का यह अर्थ नहीं होगा कि, आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.)/साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के लिए योग्य माना जाये। इस संम्बध में सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्णय अन्तिम होगा।
11. ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार या स्किल टेस्ट या अन्तिम चयन के लिये शार्टलिस्ट होने का कोई अधिकार या दावा नहीं मिलता है। क्योकि यह उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अन्य परफॉरमेन्स के अंक (यदि लागू हो तो) के आनुपातिक आधार पर केटेगरी वार रैंक सूची में स्थान एवं संबंधित पदों पर सीटों की संख्या, आरक्षण की स्थिति, अधिसूचित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने और सत्यापन में पाए गए अन्य मापदण्डों और दस्तावेजों पर आधारित है।
12. यह विज्ञापन सेल की वेबसाइट www.sail.co.in (at 'Careers' link) पर उपलब्ध है। यदि इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसे इसी वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उम्मीद्वारों को सलाह दी जाती है कि, वे इस वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
13. दिखाई गयी रिक्तियाँ प्रोविजनल हैं तथा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई या शून्य की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को हुये किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये भिलाई इस्पात संयंत्र किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
14. शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीद्वारों को साक्षात्कार/स्किल टेस्ट के समय वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
15. परीक्षा केन्द्र बदलने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। यद्यपि भिलाई इस्पात संयंत्र आवश्यकतानुसार किसी भी केन्द्र को रद्द या नया केन्द्र जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
16. परीक्षा केन्द्र/परिसर में लैपटॉप, मोबाइल, कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, स्केल या अन्य इलेक्ट्रानिक यंत्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. उम्मीदवार बी.एस.पी. का रजिस्ट्रेशन स्लिप या ई–रिसीप्ट को संभालकर रखें जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए प्रस्तुत करना होगा।
18. ऑनलाइन आवेदन जमा करने का तात्पर्य यह है कि, उम्मीदवार ने विज्ञापन को भली–भाँति पढ़ लिया है, समझ लिया है एवं उन्हें सभी नियमों व शर्तों की जानकारी है। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना है कि, वह सभी शर्तो को समझते हैं।
19. यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ती :-
   - ऑनलाइन परीक्षा (सी.बी.टी.) एवं नियुक्ति पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उम्मीद्वारों को यात्रा व्यय प्रदान नहीं किया जायेगा।
   - ई 1 से ई 3 ग्रेड के पदों के लिये साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को राजधानी एक्सप्रेस सहित ए.सी. थ्री–टीयर रेल किराया, न्यूनतम् मार्ग से की गई यात्रा के बराबर प्रदान की जायेगी। रेल किराये के भुगतान में आरक्षण एवं तत्काल आरक्षण राशि, यदि हो तो प्रदाय होगी। उम्मीदवारों को उक्त सफर किये जाने का सबूत/टिकट साक्षात्कार के समय पेश करना अनिवार्य होगा।
   - एस–1/एस–3 ग्रेड के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्त उम्मीद्वारों को, जो स्किल टेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें स्लीपर क्लास का रेल किराया, न्यूनतम मार्ग से की गई यात्रा के बराबर प्रदान की जायेगी। उम्मीदवारों को उक्त सफर किये जाने का सबूत/टिकट, स्किल टेस्ट के समय पेश करना अनिवार्य होगा।
   - जो उम्मीदवार उनकी पात्रता से अधिक वर्ग/विकल्प् से या सड़क मार्ग से यात्रा किये हों, उन उम्मीदवारों की प्रतिपूर्ती केवल उनके हकदार वर्ग के अधिकतम तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा, जो उम्मीदवार साक्षात्कार/स्किल टेस्ट में भाग लेने के लिए 30 किमी से कम दूरी से आते हैं तो, वे यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ती के हकदार नही होंगे।
   - विभागीय उम्मीदवारों के लिए यात्रा खर्च का भुगतान मूल संयंत्र/इकाई द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
20. चयनित उम्मीदवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के किसी भी खदान/क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सेवायें देनी होगी।
21. चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर में सिफारिश लाने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।
22. भिलाई इस्पात संयंत्र विज्ञापन में दी गई वाँछनीयताओं को, यदि आवश्यक हो तो रद्द करने/कम करने/बढ़ाने/परिवर्तित करने/बदलाव करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
23. किसी भी विवाद का क्षेत्राधिकार दुर्ग न्यायालय (छ.ग.) होगा।
24. विज्ञापन में किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया विज्ञापन ही मान्य होगा।

XIV) महत्वपूर्ण तिथियाँ :

1	ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि करने की प्रारम्भिक तिथि	:	09.07.2024
2	ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि करने की अन्तिम तिथि	:	03.08.2024

विज्ञापन.क्र.बीएसपी–05(भर्ती)/24–25,दिनांक : 08.07.2024

पंजीकृत कार्यालय:इस्पात भवन,लोधी रोड,नई दिल्ली, 110003
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454,Website: www.sail.co.in

हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल

एनएमडीसी
NMDC
एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
"खनिज भवन", 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद–500028
नैगम पचचान संख्या (सीआईएन) : L13100TG1958GOI001674

एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक "नवरत्न" उपक्रम तथा बड़े टर्नओवर सहित बहु स्थानिक, बहु उत्पादक एवं निरंतर लाभ अर्जित करने वाला खनन तथा खनिज गवेषण संगठन है। एनएमडीसी भारत एवं विदेश में बड़े पैमाने पर विस्तार एवं विविधीकरण कर रहा है। इसके अलावा, एनएमडीसी लिमिटेड जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में 3 एमटीपीए का स्टील प्लांट स्थापित किया है। उपरोक्त स्टील प्लांट अब डिमर्ज हो चुका है तथा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अलग कंपनी यानी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड हो गया है। स्टील प्लांट को अगस्त, 2023 में कमिशन किया गया। एनएमडीसी के अधिकारियों को स्थील प्लांट के प्रचालन एवं रखरखाव के प्रबंधन के लिए एनएसएल में पदस्थापित किए जाते हैं।

एनएमडीसी अब निम्नलिखित पद के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है :

क्र.सं.	ग्रेड	पद	पदो की संख्या	आरक्षण
1	एम–11	अधिशासी निदेशक	1	यू आर

2.0 आवश्यक योग्यता और अनुभव:

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ मेटलर्जिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए।

उम्मीदवार के पास कम से कम 21 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से अंतिम दस वर्ष 3MTPA क्षमता और उससे अधिक के बड़े एकीकृत स्टील प्लांट में संचालन और रखरखाव में होना चाहिए। वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी के पास प्लांट संचालन और रणनीतिक नेतृत्व में विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए स्टील उद्योग में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। व्यक्ति के पास बड़े पैमाने पर संचालन का प्रबंधन करने, उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और परिचालन दक्षता और लागत अनुकूलन को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने की सिद्ध क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा, उनके नेतृत्व कौशल में एनएसएल से विविध टीमों का प्रबंधन, ओएंडएम के लिए आउटसोर्स मैनपावर और संगठन के भीतर सहयोग और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए।

3.0 उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित अनुभव भी होना चाहिए :

(I) उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने वाले सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को वेतनमान या समकक्ष ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए काम करना चाहिए :

पद/ग्रेड	वेतनमान में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि
कार्यकारी निदेशक (ई9)	रु.1,50,000–3,00,000/– (ई9 ग्रेड) (आईडीए) **(या)** समतुल्य सीडीए वेतनमान

उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में पिछले दो वर्षों के अपने वेतनमान का प्रमाण संलग्न करना होगा।

(II) उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने वाले निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को पिछले दो वर्षों के लिए नीचे उल्लिखित न्यूनतम सीटीसी प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा, इसमें कम से कम दो साल की अवधि के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के न्यूनतम दो स्तर का अनुभव शामिल है।

पद/ग्रेड जिसके लिए आवेदन किया गया है:	पिछले 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम सीटीसी (औसत)
कार्यकारी निदेशक /(एम–11)	47.12 लाख या उससे अधिक

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में पिछले दो वर्षों के औसत वार्षिक सीटीसी का प्रमाण संलग्न करना होगा।

4.0 न्यूनतम आयु : आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 50 वर्ष।

4.1 अधिकतम आयु : आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 57 वर्ष।

5.0 वेतनमान, सीटीसी :

क्र.सं.	पद एवं ग्रेड	वेतनमान (रु.)	एनएमडीसी में लगभग सीटीसी (प्रति वर्ष) (रु.)
1	कार्यकारी निदेशक (एम–11)	150000-300000/-	47.12 लाख

6.0 आवेदन कैसे करें:

क्र.सं.	विवरण
क.	आवेदनों पर केवल ऑनलाइन मोड में विचार किया जाएगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ख.	पात्र उम्मीदवारों को NMDC वेबसाइट www.nmdc.co.in (वेबसाइट के "करियर" पृष्ठ पर उपलब्ध लिंक) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साइट 07.07.2024 को सुबह 10:00 बजे से 27.07.2024 को रात 11:59 बजे तक उपलब्ध/सक्रिय रहेगी।
ग.	ऑनलाइन मोड के तकनीकी पहलू की सहायता के लिए हेल्पलाइन ईमेल nmdc@jobapply.in सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी।
घ.	उम्मीदवारों को अधिसूचना की आवश्यकता के अनुसार सभी विवरण ऑनलाइन भरने और सभी प्रासंगिक दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता है।
ड.	उपरोक्त पदों के लिए विस्तृत अधिसूचना और उसके अनुलग्नकों के लिए उम्मीदवारों को NMDC वेबसाइट यानी **www.nmdc.co.in** के करियर पेज पर जाने की सलाह दी जाती है। **अधिसूचना में किसी भी स्पष्टीकरण, मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक, शुद्धिपत्र आदि के मामले में केवल उपरोक्त एनएमडीसी वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा।**
च.	**ऑनलाइन मोड में आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वे रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित पद की आवश्यक आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, जो एनएमडीसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जैसा कि ऊपर 6.0 (बी) में उल्लेख किया गया है।**
छ.	अपने ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रखने की सलाह दी जाती है यानी (i) हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो (ii) मैट्रिकुलेशन / 10 वीं प्रमाण पत्र (iii) योग्यता और अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र (iv) जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र, एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस / **दिव्यांगता** प्रमाण पत्र आदि जैसा लागू हो (v) स्कैन किए गए हस्ताक्षर आदि। (vi) मोबाइल नंबर।
ज.	ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी होगी और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना होगा, जो सफल पंजीकरण के बाद सिस्टम द्वारा तैयार किया जाएगा।
झ.	कॉल लेटर डाक/ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। कॉल लेटर एनएमडीसी वेबसाइट के करियर पेज से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ईमेल आईडी या डाक में देरी/डाक द्वारा सूचना प्राप्त न होने के कारण भेजे गए ईमेल के किसी भी नुकसान के लिए एनएमडीसी जिम्मेदार नहीं होगा। केवल उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जो वैध कॉल लेटर प्रस्तुत करेंगे।
ञ.	**उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनकी घोषणा के आधार पर कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। केवल कॉल लेटर जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता की पुष्टि हो गई है। साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवार की पात्रता की पुष्टि की जाएगी।**
ट.	उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि और नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
ठ.	उम्मीदवारों को केवल एक ही आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है। एक उम्मीदवार से कई आवेदनों के मामले में, नवीनतम को अंतिम माना जाएगा और पुराने आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.0 चयन का तरीका :

कार्यकारी निदेशक (एम–11 ग्रेड) के पद के लिए पात्र आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

8.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन:

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुसार अपनी पात्रता के सत्यापन के लिए साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, श्रेणी, ग्रेड/सीटीसी आदि के समर्थन में मूल दस्तावेज/प्रशंसापत्र, स्व–सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग लेने से पहले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत/जमा नहीं करते हैं, तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इस संबंध में एनएमडीसी प्रबंधन का निर्णय अंतिम है।

9.0 सामान्य शर्तें:

9.1 आवेदक की जन्म तिथि और नाम अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र से लिया जाएगा और जन्म तिथि और नाम का कोई अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.2 शैक्षिक योग्यता, आयु और अनुभव, समकक्ष ग्रेड / सीटीसी में वर्षों की संख्या आदि के लिए पात्रता की गणना करने की कट–ऑफ तिथि इस अधिसूचना के बिंदु संख्या 6(बी) में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। यदि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है, तो पात्रता की गणना के लिए मूल कट–ऑफ तिथि अपरिवर्तित रहेगी।

9.3 निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य हैं और इसके अभाव में कोई भी उच्चतर योग्यता, भले ही अभ्यर्थी के पास हो, किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के योग्य नहीं बनाती है।

9.4 एनएमडीसी प्रबंधन, प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, योग्यता, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के मानदंडों को बदलने/ तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9.5 भर्ती प्रक्रिया के दौरान, यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत / अधूरी पाई जाती है या यह उपरोक्त पद के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं है या यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई / विकृत की है, तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान या चयन के बाद भी किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9.6 न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने मात्र से उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रतिक्रिया और आवश्यकता के आधार पर, प्रबंधन बिना किसी अतिरिक्त सूचना जारी किए या कोई भी कारण बताए, यदि आवश्यकता पड़ती है, तो पूरी भर्ती/चयन प्रक्रिया को बढ़ाने/ढील देने/रद्द करने/संशोधित करने/बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवारों को चयन के लिए बुलाने का प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। कोई अंतरिम पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.7 किसी भी मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक के मामले में, अधिसूचना में स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र केवल एनएमडीसी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी जाएगी। सामान्य तौर पर, रोजगार अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित विनिर्देशों/मानदंडों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

9.8 चयनित उम्मीदवारों को एनएमडीसी लिमिटेड में उम्मीदवार की सेवा के दौरान किसी भी स्तर पर कंपनी की किसी भी खदान/इकाई/कार्यालय में आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाएगा और उन्हें कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार नौकरी/काय/असाइनमेंट सौंपा जा सकता है।

9.9 साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहरी उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार सबसे छोटे मार्ग से आने–जाने का एकल हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास)/एसी–I रेल किराया प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि सबसे छोटे मार्ग से आने–जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। यात्रा भत्ते का प्रारूप एनएमडीसी की वेबसाइट की अधिसूचना में अनुलग्नक–II के रूप में उपलब्ध है।

9.10 साक्षात्कार से पहले उपस्थित होने के समय उम्मीदवारों को पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए मूल यात्रा टिकट के साथ विधिवत भरा हुआ यात्रा भत्ता फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि, उक्त यात्रा भत्ते का भुगतान एनएमडीसी द्वारा नियत समय में ई–भुगतान के माध्यम से किया जाएगा।

9.11(ए) एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित प्रोफॉर्मा में लागू जातिध्स्थायी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तारीख से 06 महीने के भीतर और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.93 में निहित आदेशों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि उम्मीदवार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.9.93 की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध समुदाय से भी संबंधित है।

Certified ISO 9001:2015

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नौसेना भौतिक एवं महासागर विज्ञान प्रयोगशाला

थ्रिक्काकारा, डाकघर- कोच्चि, केरल- 682021

विज्ञापन सं. एनपीओएल/जेआरएफ/01/2024

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ) के पदों के लिए चयन

इस प्रयोगशाला में निम्नलिखित विषयों/विधाओं में वर्तमान रिक्त/रिक्त होने की प्रत्याशा वाले पदों पर **कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां** प्रदान करने के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र. सं.	अध्येतावृत्ति की प्रकृति	विषय/विधा	रिक्तियों की संख्या	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं
1.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता	इलेक्ट्रॉनिकी इंजी./ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजी. (ईसीई)/ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजी.	02 -ईसीई* 01-इंस्ट्रूमेंटेशन	इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की बीई/बीटेक और वैध नेट/गेट योग्यता. **या** इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एमई/एमटेक तथा स्नातक और स्नातकोत्तर-दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी.
2.		कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग	प्रत्याशित	कम्प्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी की बीई/बीटेक और वैध नेट/गेट योग्यता. **या** कम्प्यूटर विज्ञान में एमई/एमटेक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर-दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी.
3.		रासायनिक इंजी/रबर प्रौद्योगिकी/ पॉलिमर प्रौद्योगिकी/ नैनोप्रौद्योगिकी / सामग्री विज्ञान	01*	रासायनिक इंजी/रबर प्रौद्योगिकी/ पॉलिमर प्रौद्योगिकी/ नैनोप्रौद्योगिकी / सामग्री विज्ञान में प्रथम श्रेणी की बीई/बीटेक तथा वैध नेट/गेट योग्यता. **या** रासायनिक इंजी/रबर प्रौद्योगिकी/ पॉलिमर प्रौद्योगिकी/ नैनोप्रौद्योगिकी / सामग्री विज्ञान में एमई/एमटेक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर-दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी.
4.		महासागर विज्ञान/ महासागर प्रौद्योगिकी / मौसम विज्ञान	01	विषय/विधा से संबंधित बुनियादी विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री तथा वैध नेट योग्यता. **या** महासागर विज्ञान/महासागर प्रौद्योगिकी/मौसम विज्ञान में एमई/एमटेक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर-दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी.
5.		यांत्रिक इंजीनियरिंग	01*	यांत्रिक इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की बीई/बीटेक और वैध **नेट/गेट** योग्यता. **या** यांत्रिक इंजीनियरिंग में एमई/एमटेक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर-दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी.
6.		ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी	01*	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी में प्रथम श्रेणी की बीई/बीटेक और वैध नेट/गेट योग्यता या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी में एमई/एमटेक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर-दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी. **या** **बुनियादी विज्ञान (ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी) में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री और वैध नेट योग्यता।**
7.		भौतिकी	प्रत्याशित	इस विषय/विधा से संबंधित बुनियादी विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री और वैध नेट योग्यता.

नोट :

- (*) इन पदों के जुलाई 2024 से उपलब्ध होने की संभावना है.
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष स्वीकार्य विषय/विधा आरएसी, डीआरडीओ के मानदंडों के अनुसार होंगी.
- उपरोक्त उद्देश्य के लिए नेट में केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदत्त अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय स्तर की अध्येतावृत्तियां भी शामिल होंगी.
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता(ओं), उसकी समकक्षता और प्रयोगशाला से उनकी प्रासंगिकता के संबंध में निदेशक एनपीओएल का निर्णय अंतिम होगा

सामान्य शर्तें :

- केवल उपर्युक्त योग्यता (योग्यताएं) रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ही करें. अर्जित की गई सभी योग्यताएं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से होनी चाहिए, नेट/गेट योग्यता जहां भी निर्धारित हो, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को मान्य होनी चाहिए. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवार उचित माध्यम से आवेदन करें.
- **उच्च आयु सीमा:** आवेदनपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को **28 वर्ष**. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अपिव के उम्मीदवारों को उच्च आयु सीमा में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दी जाएगी. आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 15 **दिन बाद होगी.**
- **आवेदन कैसे करें:** उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (वेबसाइट **www.drdo.gov.in** पर उपलब्ध) में आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें. अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन में प्रमाणपत्रों, जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र, आवेदन की अंतिम तारीख तक मान्य गेट/नेट स्कोर कार्ड (यदि लागू हो), और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की स्व-सत्यपित प्रतियों के साथ हस्ताक्षरित आवेदनपत्र की हार्डकॉपी, अंतिम तारीख से पहले **'निदेशक, नौसेना भौतिक और महासागर विज्ञान प्रयोगशाला, थ्रिक्काकारा डाकघर, कोच्चि '682 021' को डाक द्वारा भेजें. लिफाफे के ऊपर जेआरएफ 2024 के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए,** अधूरे /आंशिक रूप से भरे गए आवेदनपत्र और अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनपत्र रद्द कर दिए जाएंगे.
- एक विधिवत गठित जांच समिति आवेदनपत्रों की जांच करेगी और चयन के लिए अल्पसूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका कार्यक्रम ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. इसलिए, उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया पूरी होने तक वे उसे समय-समय पर देखते रहें। केवल जांच समिति द्वारा अल्पसूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों को ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए सूचना प्राप्त होगी. किसी भी रूप में सिफारिश करने पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी.
- साक्षात्कार के आधार पर प्रत्याशित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया जाएगा और यह पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रचालित रहेगा. किंतु, केवल पैनल में शामिल किए जाने से कोई भी उम्मीदवार अध्येतावृत्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं हो जाएगा, जो कि वर्ष के दौरान रिक्तियों के होने पर निर्भर है. यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए, तो निदेशक, एनपीओएल किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
- अध्येतावृत्तियां प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए दी जाएंगी (नियमों के अनुसार विस्तार योग्य), जिसमें रु. 37,000/- की मासिक परिलब्धियों के साथ-साथ देय मकान किराया भत्ता भी नियमानुसार दिया जाएगा.
- इस विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अतिरिक्त सूचना/संशोधन केवल डीआरडीओ की वेबसाइट (**www.drdo.gov.in**) पर अद्यतन किया जाएगा. इसलिए प्रत्याशित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने तक वे वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.
- यह नोट कर लें कि अध्येतावृत्ति का प्रस्ताव करने से अध्येताओं को डीआरडीओ में समाहित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

निदेशक
एनपीओएल, कोच्चि

सीबीसी/10301/11/0062/2425 रो.स. 16/6

पिछले पृष्ठ का शेष

9.11 (बी) आवेदन पत्र में एक बार भरी गई श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी–एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा बाद में किसी अन्य श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

9.12 यदि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है, तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी में इसकी स्वयं प्रमाणित अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

9.13 भूतपूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपनी योग्यता का समकक्षता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त प्रमाण–पत्र के अभाव में, उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.14 निर्धारित यात्रा भत्ता दावा प्रपत्र (अनुलग्नक–I), अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–II), अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–III), ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–IV) केवल एनएमडीसी वेबसाइट यानी **www.nmdc.co.in** के करियर पेज पर अधिसूचना में उपलब्ध हैं।

9.15 साक्षात्कार के बारे में जानकारी, यदि आवश्यक हो, तो एडमिट कार्ड / कॉल लेटर में प्रदान की जाएगी जिसे एनएमडीसी वेबसाइट के करियर पेज से प्राप्त किया जा सकता है और उम्मीदवारों को उनके ईमेल आदि के माध्यम से इसके लिए सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को कोई अन्य संचार नहीं भेजा जाएगा।

9.16 जहां इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पद किसी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं हैं, एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है बशर्ते वह अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो। चयन प्रक्रिया में उसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा।

9.17 उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर चयनित उम्मीदवार को कार्यकारी निदेशक (एम–11) ग्रेड के पद के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा और उन्हें अधिसूचना में उल्लिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

9.18 वेतन और भत्तों के अलावा, अन्य लाभ जैसे पीआरपी, एचआरए, सीपीएफ, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधाएं, समूह बीमा आदि, नियमानुसार भी स्वीकार्य होंगे।

9.19 भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी कारण से कोई अंतरिम पत्राचार नहीं किया जाएगा। **किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।**

9.20 उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति रखनी चाहिए क्योंकि उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

9.21 विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में असमानता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

9.22 केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

9.23 किसी भी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र हैदराबाद में होगा।

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

दिलचस्प रहा है भारत में प्रसारण का इतिहास

भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाता है जब 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा ने बॉम्बे (वर्तमान में मुंबई) से अपनी पहली रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की थी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह भारतीय प्रसारण के गौरवशाली इतिहास और भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। इस दिन हमें उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें प्रेरित करना चाहिए कि हम आगे भी इसी प्रकार की सेवा और नवाचार के साथ आगे बढ़ें।

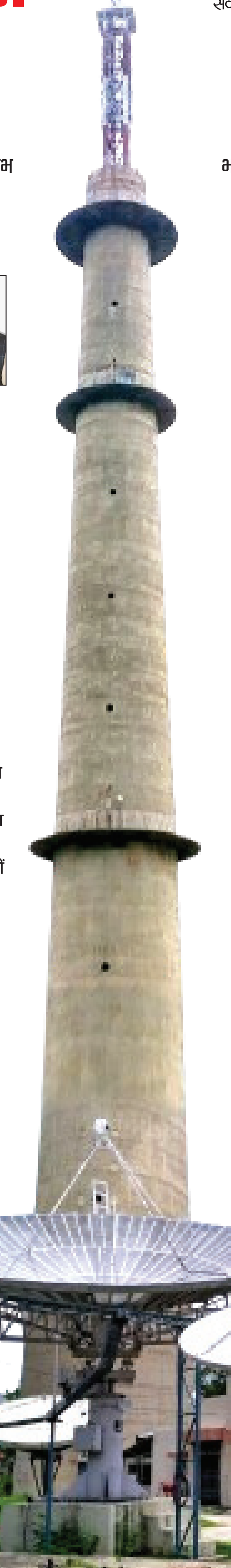

▪ देश में प्रसारण का इतिहास

भारतीय प्रसारण का इतिहास 1927 में शुरु हुआ जब भारतीय प्रसारण कंपनी (IBC) ने बॉम्बे और कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में अपनी रेडियो सेवाएं शुरू कीं। हालांकि, 1930 में सरकार ने इस सेवा को अपने अधीन कर लिया और इसे 'ऑल इंडिया रेडियो' (AIR) के नाम से जाना जाने लगा।

▪ ऑल इंडिया रेडियो

ऑल इंडिया रेडियो ने भारतीय प्रसारण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न केवल समाचार और जानकारी के प्रसारण का माध्यम बना, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी एक प्रमुख स्रोत बना। AIR ने देश की विविधता को समेटते हुए कई भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए, जो आज भी जारी हैं।

▪ दूरदर्शन का उदय

1959 में, भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई जब दिल्ली में एक छोटे से क्षेत्रीय सेवा के रूप में 'दूरदर्शन' की शुरुआत की गई। 1982 में, जब एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ, तब दूरदर्शन ने अपने रंगीन प्रसारण की शुरुआत की। इसके बाद से दूरदर्शन ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है।

▪ डिजिटल युग

21वीं सदी में डिजिटल प्रसारण ने पारंपरिक प्रसारण माध्यमों में क्रांति ला दी है। सेटेलाइट, केबल टीवी और इंटरनेट ने जानकारी और मनोरंजन के पहुंच को और भी विस्तारित किया है।

▪ महत्व और भविष्य

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि किस तरह से प्रसारण माध्यमों ने हमारे जीवन को बदल दिया है और हमें एक-दूसरे से जोड़ा है। एक अवसर है जिन्होंने प्रसारण के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया है। भविष्य में, तकनीकी प्रगति के साथ प्रसारण माध्यमों का दायरा और भी व्यापक होने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान बना दिया है।

▪ रेडियो पर हुई थी आज़ादी की घोषणा

15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ तो इस मौके पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने एक भाषण दिया था जो 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में वाल्व वाला रेडियो होता था, जिस पर लोगों ने वह भाषण सुना था। स्कूलों में भी रेडियो लगाया गया था। उस दिन रेडियो पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुर भी गूंजे थे।

23 जुलाई 1927

मुंबई रेडियो-स्टेशन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री "मन की बात" से रेडियो के प्रति लोगों की रुचि जागी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" ने रेडियो के प्रति लोगों की रुचि को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कार्यक्रम 03 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था और तब से यह देश भर में लोकप्रिय हो गया है। "मन की बात" के माध्यम से प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं, जिससे जनता का रेडियो सुनने की आदत बढ़ी है। यह कार्यक्रम न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से सुना जाता है। इसके परिणामस्वरूप रेडियो की पहुँच और प्रभाव बढ़ा है, और रेडियो स्टेशनों की श्रोताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

15 सितंबर 1959

भारत में दूरदर्शन दिल्ली से शुरुआत

1972 से गूंज रही ही बस्तर के जंगलों रेडियो की आवाज

बस्तर में रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1972 में जगदलपुर में हुई। ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के इस स्टेशन ने प्रारंभ से ही बस्तर के आदिवासी समाज के लिए उनकी भाषा और संस्कृति में कार्यक्रम प्रसारित किए। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के साधन प्रदान करना था। स्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रचार बस्तर में रेडियो स्टेशन ने स्थानीय भाषा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोंडी, हल्बी, और अन्य स्थानीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोग सहजता से जुड़ सकें।

▪ छत्तीसगढ़ में प्रसारण का इतिहास

छत्तीसगढ़, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, में प्रसारण का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस राज्य में प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास और प्रगति देखी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रसारण का इतिहास राज्य के विकास और सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रेडियो से शुरू होकर टेलीविजन और फिर डिजिटल मीडिया तक, प्रसारण माध्यमों ने छत्तीसगढ़ की जनता को जानकारी, शिक्षा, और मनोरंजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में, नई तकनीकों के साथ प्रसारण का दायरा और भी विस्तारित होगा और यह राज्य के हर कोने में लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

▪ प्रारंभिक दिनों का प्रसारण

छत्तीसगढ़ में प्रसारण की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से हुई। रायपुर में पहला रेडियो स्टेशन 1963 में स्थापित किया गया था। इस रेडियो स्टेशन ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए समाचार, शिक्षा, और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया। AIR रायपुर ने क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए, जिससे छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों तक पहुंचा जा सका।

▪ दूरदर्शन का उदय

छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। रायपुर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसने क्षेत्रीय समाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। दूरदर्शन ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

▪ एफएम रेडियो का विकास

2000 के दशक में एफएम रेडियो ने छत्तीसगढ़ में भी अपनी जगह बनाई। रायपुर, बिलासपुर, और अन्य प्रमुख शहरों में कई एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। इन एफएम स्टेशनों ने युवाओं में लोकप्रियता हासिल की और संगीत, समाचार, और मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत बन गए।

▪ डिजिटल युग और केबल टीवी

21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, छत्तीसगढ़ में केबल टीवी और सैटेलाइट टीवी का विस्तार हुआ। स्थानीय केबल ऑपरेटरों ने क्षेत्रीय चैनलों को शामिल किया, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी स्थानीय खबरें और कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। इसके साथ ही, इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से डिजिटल मीडिया का प्रसार भी हुआ।

▪ आज का परिदृश्य

आज छत्तीसगढ़ में प्रसारण का क्षेत्र बहुत विस्तृत और विविधतापूर्ण हो चुका है। स्थानीय चैनल्स, एफएम रेडियो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने राज्य के हर कोने में लोगों तक पहुंच बनाई है। क्षेत्रीय समाचार चैनलों ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

▪ संदीप सिन्हा

वित्त आयोग

▪ वित्त आयोग क्या है?
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देना है।

▪ वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं?
संविधान के अनुसार, आयोग हर पांच साल में नियुक्त किया जाता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं

▪ भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे?
भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952-57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। अभी तक 16 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। नवीनतम वित्त आयोग अरविंद पनगढ़िया (भारतीय नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।

▪ राज्य के वित्त आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत, राज्य के राज्यपाल को हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा

▪ वित्त आयोग सदस्यों की योग्यताएं ?
वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है, जिन्हें सार्वजनिक मामलों में अनुभव हो, और चार अन्य सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है, जो ▪ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, या होने के योग्य हैं। ▪ सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान है। ▪ वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव हो। ▪ अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो सिफारिशें की जानी हैं।

▪ वित्त आयोग के कार्य क्या हैं?
आयोग का कर्तव्य है कि वह करों की शुद्ध आय के संघ और राज्यों के बीच वितरण के बारे में, जो उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है और राज्यों के बीच ऐसी आय के संबंधित शेयरों का आवंटन; भारत के समेकित कोष से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत; राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय; राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

सीएम साय ने केंद्रीय वित्त आयोग से मांगा विशेष अनुदान

राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग 10 जुलाई से राज्य के दौरे पर थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया

▪ दुर्गम इलाकों में ज्यादा खर्च

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। माओवाद

पर अंकुश लगाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधोसंरचना विकास के कार्यों में अतिरिक्त व्यय भार आता है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

▪ विकसित छत्तीसगढ़ का करेंगे निर्माण

सीएम साय ने कहा कि यदि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य को अधिक वित्तीय सहायता

की अनुशंसा करता है, तो निश्चित ही पिछड़े इलाकों में लोकहित के कार्यों को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करेंगे।

▪ अतिरिक्त धनराशि की है जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल,

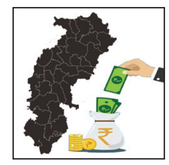

सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा, सिंचाई की परियोजनाओं की लागत और समय-सीमा में वृद्धि के कारण हमें अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति और लोगों पर स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हमें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ रही है।

▪ जीएसडीपी दोगुना करने का है लक्ष्य

श्री साय ने कहा कि 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के समय मात्र 29,539 करोड़

रुपये की छोटी सी अर्थव्यवस्था के साथ इस राज्य ने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 2023-24 में राज्य पांच लाख नौ हजार करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। आने वाले पांच वर्षों में हम जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

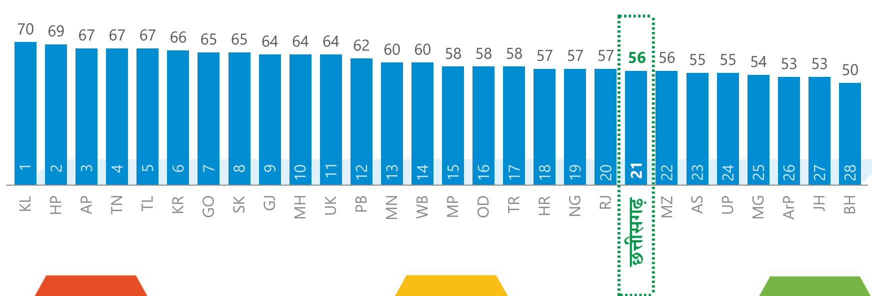

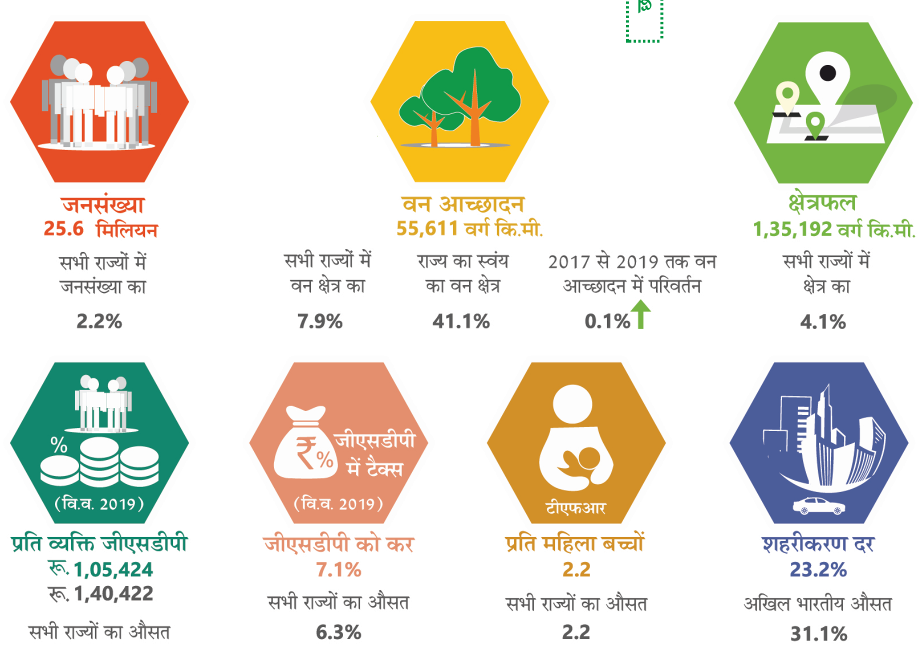

सोलहवां वित्त आयोग
विषयों के संबंध में सिफारिशें,

(i) संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आबंटन।

(ii) वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करें और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय।

सोलहवां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। सोलहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए।

▪ धनेश कुमार दिवाकर

16 वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक

वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	अवधि
पहला	1951	के.सी. नियोगी	1952-1957
दूसरा	1956	के. संथानम	1957-1962
तीसरा	1960	ए.के. चंद्रा	1962-1966
चौथा	1964	डॉ. पी.वी. राजमन्नार	1966-1969
पाँचवां	1968	महावीर त्यागी	1969-1974
छठा	1972	पी. ब्रह्मानंद रेड्डी	1974-1979
सातवाँ	1977	जे.पी. शेलट	1979-1984
आठवाँ	1982	वाई.पी. चौहान	1984-1989
नौवाँ	1987	एन.के.पी. साल्वे	1989-1995
10वाँ	1992	के.सी. पंत	1995-2000
11वाँ	1998	प्रो. ए.एम. खुसरो	2000-2005
12वाँ	2003	डॉ. सी. रंगराजन	2005-2010
13वां	2007	डॉ. विजय एल. केलकर	2010-2015
14वां	2012	डॉ. वाई.वी. रेड्डी	2015-2020
15वां	2017	एन.के. सिंह	2020-2025
16वां	2024	अरविंद पनगढ़िया	2025-2030

छत्तीसगढ़

'एक पेड़ मां के नाम' महा वृक्षारोपण अभियान-2024 का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जैव विविधता पार्क में 'एक पेड़ मां के नाम' महावृक्षारोपण अभियान-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 4 करोड़ पौधें लगाये जाएंगे। इसी के अंतर्गत में प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 हजार पेड़ लगाए।

सौर ऊर्जा संबंधी सभी कार्य क्रेडा के माध्यम से कराने के निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सौर ऊर्जा से संबंधित सभी तरह के कार्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य सीधे न कराकर राज्य शासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी क्रेडा के माध्यम से कराने को कहा है।

अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और कैबिनेट

अयोध्या धाम में पवित्र राम जन्मभूमि में श्रीरामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भाँचा राम के ननिहाल का उपहार भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल, अनारसा, करी लड्डू तथा कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए।

कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 30 जुलाई तक होंगे पंजीयन व नवीनीकरण

लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा तीसरी से आठवी तक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार पंजीयन व नवीनीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में 30 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्राचार्यों, प्रधान पाठकों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ स्कूलों में निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के पोर्टल में पंजीयन एवं नवीनीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल https://schoolscholarship.cg.nic.in/ में विद्यार्थियों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु स्कूलों को लॉगिन आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है।

स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेजों में भी पीटीएम

स्कूलों के तर्ज पर अब कॉलेजों में भी विद्यार्थियों की कमजोरी नियमित रूप से अभिभावकों को बताया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से महीने में दो बार अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विद्यार्थी कॉलेज से बंक नहीं मार सकेंगे। इसकी रिपोर्ट एप के माध्यम से रोजाना अभिभावक को दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में भी पीटीएम व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिले के सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य की ऑनलाइन बैठक बुलाई गई थी। इसमें निर्णय लिया गया है कि कॉलेज के नाम पर बंक मारने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्ट मोबाइल एप के माध्यम से अभिभावक को दिया जाएगा।

ओपन स्कूल की परीक्षा 10 से

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से दसवीं-बारहवीं की द्वितीय मुख्य व अवसर परीक्षा के लिए करीब 32 हजार फार्म मिले हैं। यह परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी। ओपन स्कूल की पहली परीक्षा मार्च-अप्रैल में हुई थी, तब 91 हजार छात्रों ने आवेदन किया था। सेकंड एग्जाम के तहत दसवीं की परीक्षा 10 से 24 अगस्त तक और बारहवीं की 10 से 28 अगस्त तक होगी। पिछले दिनों इसका शेड्यूल जारी किया गया। दसवीं की परीक्षा के लिए साढ़े 15 हजार और बारहवीं के लिए साढ़े 16 हजार से अधिक छात्रों ने फार्म भरा है। परीक्षा सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक होगी।

सिविल सेवा परीक्षा में सफल युवाओं को एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर रुपए 1,00,000/- प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों से 6 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में जमा या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं

खरीफ फसलों का बीमा अंतिम तिथि 31 जुलाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर / तुअर, रागी एवं सोयाबीन फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।

इंदिरा गांधी कृषि विवि में लागू होगी एनईपी,

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जुलाई-अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। इसी सत्र यानी 2024-25 से ही यहां स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होगी।

राष्ट्रीय

46 साल बाद खुला श्री जगन्नाथ का रत्न भंडार

ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का 'रत्न भंडार' 46 साल बाद खोला गया। आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। इसे पिछली बार 1978 में खोला गया था। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने दोपहर करीब 1.28 बजे मंदिर में प्रवेश किया और अनुष्ठान करने के बाद रत्न भंडार पुनः खोला गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, 'भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़िया समुदाय ने उड़िया अस्मिता की पहचान के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

सूर्य के हेलो ऑर्बिट का लगाया पहला चक्कर

भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल-1 ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि इस वर्ष जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित लैंग्रेज-1 (एल-1) पाइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य एल-1 ने हेलो आर्बिट की पहली परिक्रमा पूरी कर ली है। आदित्य एल-1 ने यह परिक्रमा 178 दिन में पूरी की। इसरो ने कहा कि आदित्य एल-1 को कक्षा में स्थिर रखने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। ताकि यान दूसरी हेलो आर्बिट में बिना किसी रुकावट के मूवमेंट कर सके। उल्लेखनीय है कि लैंग्रेज-1 पाइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक काल्पनिक बिंदु है। इस बिंदु से पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान हो जाता है।

देश का पहला हथियार प्रणाली स्कूल

भारतीय वायुसेना ने हैदराबाद में देश का पहला हथियार प्रणाली स्कूल स्थापित किया है। हैदराबाद के बेगमपेट एयर फोर्स स्टेशन में वायु सेना प्रमुख एवर चौफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। वायु सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वायु सेना को भविष्य में आधुनिक बल के रूप में बदलने के उद्देश्य में यह नया प्रशिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभायेगा। हथियार प्रणाली स्कूल में वायु सेना में भर्ती होने वाले अधिकारियों को जमीन से हवा, हवा से हवा और साइबर स्पेस तक में हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वैज्ञानिकों ने बनाया राम सेतु का मानचित्र

भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अमरीकी उपग्रह आईसीईसैट-2 के आंकड़ों का उपयोग कर राम सेतु (एडम्स ब्रिज) की संरचना के जटिल विवरणों को समझने की कोशिश की है। शोधकर्ताओं ने उपग्रह के फोटोन (वाटर-पेनेट्रेटेड फोटॉन) कणों का उपयोग कर राम सेतु का विस्तृत मानचित्र तैयार किया। उनका मानना हैं कि राम सेतु के बारे में गहन जानकारी देने वाली यह पहली रिपोर्ट है, जो इसकी उत्पत्ति के राज खोलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की इकाई राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के जोधपुर और हैदराबाद स्थित केंद्रों के वैज्ञानिकों ने नासा के उपग्रह का प्रयोग कर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है।

झारखंड मुख्य न्यायाधीश बने सारंगी

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति सारंगी इससे पहले ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्तफा को केरल उच्थ न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता

महाराष्ट्र में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सौनिक ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह महाराष्ट्र के 64 वर्ष के इतिहास में मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला बनी। वर्ष 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सौनिक ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए नितिन करीर की जगह ली।

अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट 'अभ्यास' ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इस ड्रोन का यह दसवां परीक्षण था। अभ्यास ड्रोन का झरोमात विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। इस बार परीक्षण के दौरान अभ्यास के टेलीमेट्री रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर की जांच की गई।

देश के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री

केंद्र सरकार ने वर्ष 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। चीन मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिस्री विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। विदेश सचिव बनाए जाने से पहले मिस्त्री भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। यह तीन प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। वह चीन, स्पेन और म्यांमार में भारत के राजदूत रह चुके हैं।

आईआईटी जोधपुर में हिंदी में भी बीटेक होगा

आईआईटी जोधपुर में नए शैक्षणिक सत्र में बीटेक की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर दो सेक्शन में चुना जाएगा। पहले साल अंग्रेजी और हिंदी दोनों के छात्रों को एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे।

भारतीयों के परिजनों को 1.3 करोड़ रु. देगा रूस

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवार वालों को रूसी सेना 1.3 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने आवेदन करने पर परिवारजनों को नागरिकता देने का भी ऐलान किया है।

अंतरराष्ट्रीय

चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रम्प बाल-बाल बचे

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रम्प पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। ट्रम्प पर गोली चलाने वाले हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मार गिराया। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान मंच से बोलते समय ट्रम्प पर निशाना साधकर कई गोलियां चलाई गई। इस दौरान ट्रम्प ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और नीचे झुक गए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ट्रम्प को संभाला। ट्रम्प के चेहरे और कान पर खून नजर आया। हमले में ट्रम्प को दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। शूटर को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया। सुरक्षाकर्मी ट्रम्प को मंच से उतार कर वहां से ले गए।

एच-3 रॉकेट से निगरानी उपग्रह किया लॉन्च

जापान ने अपने नए एच-3 रॉकेट से एक उन्नत पृथ्वी निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया कि एच-3 रॉकेट से आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात किया गया है। इस रॉकेट ने दक्षिण पश्चिमी जापान के एक द्वीप पर स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और लगभग 16 मिनट बाद अपना पेलोड (उपग्रह) रिलीज किया। इस उन्नत भूमि निरीक्षण - उपग्रह को आपदा प्रतिक्रिया तथा मानचित्रण के लिए पृथ्वी की निगरानी करने और डाटा संग्रहण का काम सौंपा गया है।

उर्सुला दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष

यूरोपीय संघ ने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयेन को यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूरोपीय संघ ने अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उर्सुला जुलाई 2019 में पहली बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनीं थीं। उन्होंने पहले कार्यकाल में कोविड-19 नियंत्रण और टीकाकरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा उर्सुला ने वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थ बनने की यूरोपीय संघ की योजनाओं को मूर्त रूप दिया है।

ट्विटर पर मिल सकता है डिसलाइक का विकल्प

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिसलाइक का बटन जल्द लाइव हो सकता है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग हुई थी। एक्स के आईओएस एप के बीटा वर्जन पर 'टूटे हुए दिल' के आकार में इसका कोड दिखा था।

विशेष टेलीस्कोप करेगा एलियंस के ग्रह की खोज

एलियंस की खोज की दिशा में कदम उठाते हुए अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हैबिटेबल वर्ड्स ऑब्जर्वेटरी (एचडब्ल्यूओ) लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। यह वेधशाला विशेष टेलीस्कोप से लैस होगी, जिसे 'एलियन हंटिंग' दूरबीन कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मदद से 2050 तक ऐसे ग्रह की खोज करेंगे, जहां जीवन हो। यानी एलियंस रहते हों। हैबिटेबल वर्ड्स ऑब्जर्वेटरी से 2040 के आसपास इस टेलीस्कोप के प्रक्षेपण की योजना है। इसका लक्ष्य हमारे सौरमंडल से बाहर ऐसे ग्रह की खोज करना है, जहां लोग रहते हों।

भारत ने जिनेवा में मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी समीक्षा संपन्न

भारत ने जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आई.सी.सी. पी.आर.) के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। इसमें पश्चिम क्षेत्र के सचिव पवन कपूर और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामले, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य, गृह मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। चर्चा के दौरान, मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने बहुलवाद, अहिंसा और विविधता जैसे सिद्धांतों में निहित भारत की परंपराओं और लोकाचार की सराहना की।

ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री

नेपाल में फिर से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन गए हैं। रामचंद्र पौडेल ने के पी शर्मा ओली को नयी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चौथी बार देश का ओली प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक्स पर पोस्ट लिखकर बधाई दी है।

ऊर्जा, एआई, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में फेडरल चांसलरी में ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में ऊर्जा, एआई, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में संघीय चांसलरी में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

खेल / कला

गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने

पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी घोषणा की। वे राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा।

भारत 150 मुकाबले जीतने वाला पहला देश

भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा टी20 मैच 23 रन से जीत लिया। इस जीत से टीम इंडिया ने पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा। यह भारत की टी20 इंटरनेशनल में 150वीं जीत है। भारत 150 जीत वाला पहला देश बन गया है।

निशानेबाजी विश्व कप में सबीरा ने जीता कांस्य

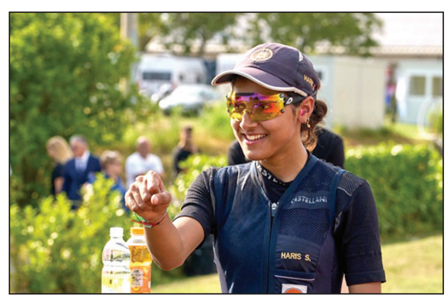

भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। फाइनल में कल सबीरा ने 40 में से 39 सटीक निशाने लगाए। अमरीका की कैरी गैरिसन ने स्वर्ण और इटली की सोफिया गोरी ने रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की भव्या त्रिपाठी 26वें और राजकुंवर इंग्ले 33वें स्थान पर रहे।

यूरो कप चार बार जीतने वाला पहला देश स्पेन

बर्लिन में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथी बार यूरो कप अपने नाम कर लिया। बर्लिन में हुए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। स्पेन के बाद जर्मनी ऐसा देश है, जो तीन बार यह खिताब जीत चुका है। इंग्लैंड 66 साल में कभी यह चैंपियनशिप नहीं जीत पाया है।

ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे

पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं।

भारत ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज जीती

भारत ने टी-20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए टारगेट हासिल कर लिया। भारत की ओर से ओपनर्स के बीच नाबाद 156 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल ने 53 बॉल पर नाबाद 93 और शुभमन गिल ने 39 बॉल पर 58 रन बनाए। इससे पहले, जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। उनके अलावा तदिवनाशे मरुमानी 32 और वेसले मधवरे ने 25 रन का योगदान दिया। जिम्बाब्वे के ओपनर्स तदिवनाशे मरुमानी (32) और वेसले मधवरे (25) के बीच 63 रन की साझेदारी हुई।

कार्लोस अल्कारेज ने जोकोविच का सपना तोड़ा

लंदन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विम्बलडन 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें 21 साल के स्पेनिश कार्लोस अल्कारेज ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6- 2, 6-2, 7-6 से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है।

देश की बेटियों ने तलवारबाजी में जीता कांस्य

जम्मू की छवि शर्मा ने कैडेट और जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता की सेबर गर्ल्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में चल रही प्रतियोगिता में तमिलनाडु से जफरलीन, कर्नाटक की एस तन्वी और दिल्ली से तनिश्या सिंह और छवि ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य जीता। सेबर टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को 45-42 के अंतर से मुकाबला जीत कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

भवतेग को जूनियर विश्व कप में रजत पदक

भारत के भवतेग सिंह गिल ने इटली के पोरपेटो में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन सोमवार को यहां पुरुष स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। पिछले साल जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भवतेग ने छह निशानेबाजों के फाइनल में 52 निशाने सही लगाए और अमेरिका के बेंजामिन केलेर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। केलेर ने 60 में से 56 सटीक निशाने लगाकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सबीरा हैरिस ने जूनियर महिला ट्रैप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। इन दो पदक के साथ भारत पदक तालिका में अमेरिका और इटली के बाद तीसरे स्थान पर रहा। भवतेग ने इससे पहले क्वालीफिकेशन के अंतिम दो दौर में हिस्सा लिया और कुल 121 अंक जुटाकर पांचवें स्थान के साथ शीर्ष छह निशानेबाजों में शामिल रहे।

सुदर्शन को गोल्डन सैंड मास्टर अवॉर्ड

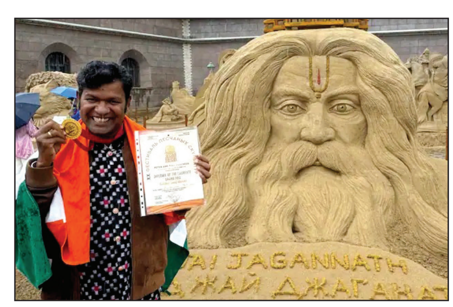

भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवॉर्ड और गोल्ड मेडल जीता। सेंट पीटर्सबर्ग हुए इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में उन्होंने यह अवॉर्ड रेत से भगवान जगन्नाथ का 12 फीट का रथ और उनके भक्त बलराम दास की सैंड मूर्ति बनाने के लिए जीता। इसमें 21 कलाकारों ने भाग लिया था।

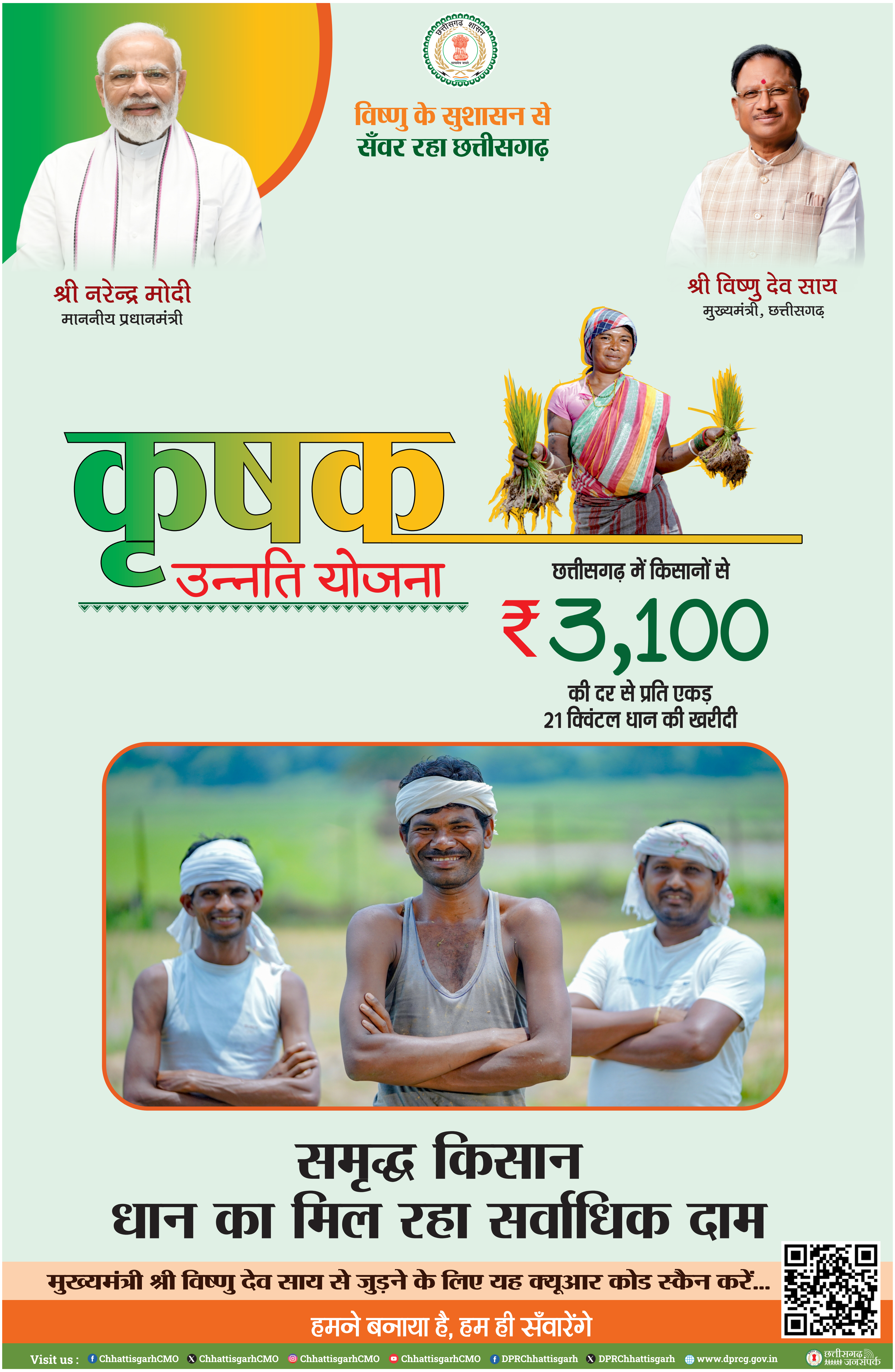
छत्तीसगढ़ शासन
विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
कृषक
उन्नति योजना
छत्तीसगढ़ में किसानों से
₹3,100
की दर से प्रति एकड़
21 क्विंटल धान की खरीदी
समृद्ध किसान
धान का मिल रहा सर्वाधिक दाम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें...
हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मयंक श्रीवास्तव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. मिशन मिडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो